उन्नति विचार

वर्ष : 15 अंक : 1 जनवरी-अप्रैल, 2010

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
- अन्न के अधिकार द्वारा अन्न सुरक्षा

नज़रिया
- महिलाओं को संसद एवं विधान सभाओं में आरक्षण 8

अपनी बात
- अन्न का अधिकार: तीन संगठनों के अनुभव 17

गतिविधियाँ 25

संदर्भ सामग्री 32

अपने बारे में 37

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

अन्न के अधिकार द्वारा मानव विकास

विश्व भुखमरी सूचक अंक में ८८ देशों में से भारत ६६वें क्रम पर है, ऐसे में अन्न के अधिकार का कानून अथवा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम भुखमरी को रोकने में तथा अन्न व पोषण की दशा सुधारने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। देश में आधिकारिक रूप से देखें तो ६.५ करोड़ परिवार गरीब हैं और उनमें से भी २.५ करोड़ परिवार अत्यंत गरीब हैं। ऐसे में उन्हें सस्ते भाव में पर्याप्त अनाज प्रदान करके अन्न और पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार लाये जा सकते हैं। गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने की अनेक योजनाएं वर्षों से चल रही हैं और उनमें अनेक कमियां हैं, साथ ही प्रस्तावित अन्न अधिकार अधिनियम में भी त्रुटियां नजर आ रही हैं। तथापि ऐसे कानून की आवश्यकता को लेकर कतई दो मत नहीं हैं। सवाल ये हैं कि कानून में उचित व्यवस्थाएं हों, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय आवंटन हो, क्रियान्वयन पर देखरेख रखने के लिए तंत्र निर्मित हो, तथा इस अधिकार को भंग करने पर दंड की व्यवस्था हो और पीड़ित को मुआवजा मिले। यह कानून प्रत्येक व्यक्ति को अन्न की पर्याप्त प्राप्ति की कानूनी व्यवस्था करता है, यह वास्तविकता ही इस कानून को अन्न के वितरण हेतु भूतकाल की और वर्तमान की तमाम वास्तविकताओं से एक भिन्न भूमिका प्रदान करती है। अन्न का अधिकार मूलभूत मानवाधिकार है, यह बात इस भूमिका के लिए महत्त्वपूर्ण बन जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वत्रिक हो, अनाज वितरण के वर्तमान स्तर से नया स्तर कम न हो और अनाज के भावों में वृद्धि न हो, ये अन्न अधिकार अधिनियम की प्रभावोत्पादकता जताने संबंधी पूर्वशर्तें हैं।

बार-बार अकाल, भूकंप, बाढ़ और तूफान से प्रभावित होने वाले दलित समुदायों, महिलाओं और बालकों, बूढ़ों, अशक्तों, असहाय लोगों और विकलांगों इत्यादि खास तौर से असहाय समुदायों के लिए यह अधिनयिम आशीर्वाद स्वरूप बन सकता है। कुपोषण की परिस्थिति को दूर करने में तथा भुखमरी को टालने में सरकारें भारत में अनेक बार विफल रही हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि बंधुआ मज़दूरों, कृषि मज़दूरों, इधर-उधर भटकते बालकों, एकाकी नारियों, आकस्मिक मज़दूरों और खेत-मज़दूरों जैसे असहाय समूहों को इस अधिनियम का लाभ मिले।

शेष पृष्ठ 40 पर

अन्न के अधिकार द्वारा अन्न सुरक्षा

भारत सरकार अन्न अधिकार अधिनियम ला रही है। गरीबों को सस्ते भाव में पर्याप्त अनाज दिलाने और उनके पोषण का स्तर ऊंचा उठाने के लिए यह कानून अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उसके कानूनी पहलुओं, सार्वत्रिकता की आवश्यकता और उसके साथ ही सम्बंधित प्रशासनिक सवालों के विषय में **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा इस लेख में छानबीन की गई है। गरीबी के निवारण और अन्न सुरक्षा के व्यापक संदर्भ के साथ यह लेख अन्न के अधिकार संबंधी व्यापक पहलुओं पर दृष्टिपात करता है।

प्रस्तावना

प्रत्येक गरीब परिवार को पर्याप्त अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिलाने लिए भारत सरकार एक कानून ला रही है। वित्त मंत्री ने अपने २०१०-११ के बजट भाषण में बताया था कि सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम बना रही है। यह निर्णय जितना आर्थिक है, उतना ही राजनीतिक भी है। सूचना अधिकार, अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम और वन्य भूमि अधिकार अधिनियम के बाद यह अधिनियम देश के आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक माहौल में बदलाव लाने हेतु सामर्थ्यवान होगा।

यह दस्तावेज अथवा अन्न अधिकार अधिनियम पोषण तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से देश की दशा सुधारने में सहायक होगा। विश्व में जिन देशों में अन्न सुरक्षा व पोषण निर्देशक सबसे खराब हैं, उनमें भारत का भी स्थान है। हाल के वर्षों में कुछ मामलों में परिस्थिति शायद ही सुधर पाई है। कम वज़न वाले बालकों की जो तादाद १९९८-९९ में थी, वही २००५-०६ में थी। उल्लेखनीय बात यह है कि पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के अन्न अधिकार केस के रूप में विख्यात केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था, उसने भी देश में अन्न के अधिकार संबंधी कानूनी तंत्र के बारे में पूर्व भूमिका तैयार की थी।

कानूनी दृष्टिकोण

कानूनी दृष्टि से देखें तो अन्न के अधिकार संबंधी दस्तावेज को गढ़ने हेतु पर्याप्त भूमिका है। उसमें ये बातें महत्त्वपूर्ण हैं:

(१) भारतीय संविधान की धारा-२१ में जीवन जीने का मूलभूत अधिकार स्वीकार किया गया है। इस अधिकार को अनेक बार अन्न के अधिकार के रूप में भी अर्थ घटित किया गया है।

(२) संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया है कि लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा लाने, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने को राज्य अपना प्राथमिक दायित्व समझेगा।

(३) भारत ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय संधियों व प्रस्तावों या घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये हैं।

(४) पीयूसीएल (पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज) के केस नं.-१९६/२००१ के संदर्भ में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पोषण संबंधी अनेक आदेश जारी किये हैं।

केन्द्र सरकार अन्न के अधिकार का दस्तावेज़ लाकर सरकार का कानूनी दायित्व स्थापित करना चाहती है। परंतु महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पीयूसीएल केस में जो ब्यौरेवार फैसले दिये हैं उनको ध्यान में लेना ही पड़ेगा और इस कानून में कम-से-कम इन आदेशों की व्यवस्थाओं का पालन करना ही पड़ेगा। अगर इन आदेशों को इस कानून के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया तो फिर कानूनी व्यवस्थाओं का इन आदेशों के साथ टकराव हो सकता है। अतः कानूनी रूप से निर्मित अन्न अधिकार में इन आदेशों का समावेश तो होना ही चाहिए और कानून को इस हेतु उपयुक्त अवसर समझना चाहिए।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाः सार्वत्रिक किसलिए?

अन्न अधिकार कानून के संदर्भ में देश में चल रही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को लेकर निरंतर चर्चा चलती है। वर्तमान में इस योजना के तरह सस्ते अनाज की

अन्न के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्रवर्तमान योजनाएं और उनके अमल हेतु ध्यान में लेने के मुद्दे

योजनाएं

१. समन्वित बाल विकास सेवाएं

• हर बस्ती में एक आंगनबाड़ी हो। उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों और शहरी झोंपड़पट्टियों को प्रधानता दी जाए। छः वर्ष से कम उम्र के ४० बालकों वाली बस्तियों से मांग आने पर वहाँ आंगनबाड़ी खोल दी जाए। • उनके सभी लाभार्थियों को वर्ष में ३०० दिनों के लिए पर्याप्त पोषण पाने का अधिकार है। उनके लिए यह जरूरत है: छः वर्ष से कम उम्र के बालकों को ३०० कैलोरी और ८ से १० ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, प्रत्येक किशोरी, सगर्भा स्त्री और धात्री माता को ५०० कैलोरी और २०-२५ ग्राम प्रोटीन मिले, तथा कुपोषण से पीड़ित प्रत्येक बालक को ६०० कैलोरी और १६-२० ग्राम प्रोटीन मिले। • पोषण की आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए ठेकेदारों का उपयोग नहीं होना चाहिए।

२. मध्याह्न भोजन योजना

• सरकारी और सरकार द्वारा अनुदानित सभी प्राथमिक शालाओं में प्रत्येक बालक को रोजाना तैयार भोजन प्रदान करना चाहिए। वर्ष में कम से कम २०० दिन रोजाना ३०० कैलोरी तथा ८ से १२ ग्राम प्रोटीन वाली खुराक दी जाए। • अकालग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान भी बालकों को मध्याह्न भोजन प्राप्त करने का हक है।

३. लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

• गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले सभी परिवारों को ३५ कि.ग्रा. अनाज मिले। • बीपीएल परिवारों को हफ्ते में खरीदी करने की छूट होनी चाहिए। • राशनिंग की तमाम दुकानें नियमित रूप से खुली हों।

४. अंत्योदय अन्न योजना

इन समूहों को अंत्योदय कार्ड बांटे जाएं: (१) वृद्धों, विकलांगों, अशक्तों, निराधारों, सगर्भ स्त्रियों, धात्री माताओं, (२) विधवाओं और नियमित रूप से बेसहारा व अन्य एकाकी स्त्रियों (३) ६० से अधिक आयु के वृद्धों या जिनके पास नियमित सहारा नहीं या जीवन निर्वाह के भरोसेमंद साधन नहीं। (४) वयस्क विकलांग व्यक्ति के अधीनस्थ परिवार। (५) वृद्धत्व, शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति का अभाव, सामाजिक रीतिरिवाजों के कारण घर से बाहर रोजगार के लिए न जा सकने वाले परिवार (७) आदिम जातियां।

५. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह पेंशन मिले। ६५ वर्ष से अधिक आयु के तमाम बीपीएल लोगों को प्रतिमाह ४०० रु. पेंशन मिले।

६. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

तमाम सगर्भा बीपीएल महिलाओं को ५०० रु. की नकद सहायता दी जाए।

७. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

बीपीएल परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो तो मृत्यु के चार सप्ताह में उस परिवार को १०,००० रु. की नकद सहायता मिले।

क्रियान्वयन हेतु महत्त्वपूर्ण मुद्दे

१. ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व

अन्न के साथ संबंधित तमाम योजनाओं के बारे में सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने का ग्राम सभा को अधिकार है। धन के दुरुपयोग के समस्त विवरण को प्रस्तुत करने का उसे अधिकार है। यह जरूरी है कि क्रियान्वयन अधिकारी ऐसी शिकायतों की जांच करे और नियमानुसार कदम उठाये।

२. सूचना की प्राप्ति

ग्राम सभा को अन्न के साथ संबंधित तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन पर देखरेख का अधिकार है और वह जरूरी सूचनाएं इकट्ठी कर सकती है। वह लाभार्थियों की पसंदगी और लाभ के बंटवारे से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकती है।

३. योजनाएं बंद न करें

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि उसके आदेश के अंतर्गत आने वाली कोई भी योजना अदालत की पूर्वानुमति के बगैर बंद न की जाए।

अन्न सुरक्षा, अन्न असुरक्षा और अपर्याप्त पोषण का क्या अर्थ है?

अन्न सुरक्षा

जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित व पोषक आहार भौतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से प्राप्त हो जिससे उनकी आहार की जरूरतें तथा सक्रिय व स्वस्थ जीवन हेतु आहार की प्राथमिकताएं पूरी हो, तब उसे अन्न की सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। अन्न सुरक्षा का यह खयाल परिवार के स्तर पर लागू होता है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

अन्न असुरक्षा

जब लोगों को उपरोक्त तरीके रीति से पर्याप्त मात्रा में भौतिक, सामाजिक व आर्थिक रीति से आहार सुलभ न हो तब उसे अन्न की असुरक्षा कहा जाता है।

अपर्याप्त पोषण

न्यूनतम आहार ऊर्जा के लिए जरूरत से भी कम कैलोरी मिलती हो तब उसे अपर्याप्त पोषण कहा जाता है। हल्की प्रवृत्तियां करने के लिए तथा ऊंचाई के अनुसार स्वीकृत न्यूनतम वजन धारण करने हेतु जिस आहार की जरूरत पड़ती है, उसे न्यूनतम आहार ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यह मात्रा हर देश, हर उम्र और स्त्री व पुरुष के लिए अलग-अलग होती है। सामान्यतया अपर्याप्त पोषण को भुखमरी के रूप में जाना जाता है।

दुकानों से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन और तेल दिये जाते हैं। पूरे देश में सस्ते अनाज की अधिकांश दुकान निजी दुकानदार ही रखते हैं, जिन्हें कमीशन दिया जाता है। इस सम्पूर्ण योजना के संदर्भ में भारत सरकार जो कुछ खर्च करती हैं, उसे अन्न सबसिडी के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इसी व्यवस्था का उपयोग करती हैं और सबसिडी देती हैं। इस योजना के अधीन अभी तीन प्रकार के कार्ड - एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय हैं और प्रत्येक कार्डधारी परिवार के लिए अन्न वितरण के अलग-अलग पैमाने तय किये हुए हैं।

१९९७ से पहले यह व्यवस्था देश के तमाम परिवारों के लिए थी। १९९७ में लक्षित (टारगेटेड) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू की गई थी। २०००-०१ में एपीएल परिवारों के लिए भाव इतने ज्यादा बढ़ा दिये गए कि जिससे वे व्यवस्था से बाहर ही निकल गए। भारत का अनुभव इस व्यवस्था के संदर्भ में प्रोत्साहक नहीं रहा। सरकार द्वारा अनाज की प्राप्ति की समस्याओं को एक तरफ रख दें तब भी बीपीएल परिवारों की पहचान में ही बड़ी समस्याएं हैं और अनाज के वितरण से सम्बंधित समस्याएं भी हैं। अन्न के अधिकार संबंधी कानून के सुचारु क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत करना होगा। इसी भांति, इसी व्यवस्था के अधीन दलहन और तेल का समावेश कानूनी अधिकार के रूप में होना चाहिए। हालांकि इसमें लक्षित समूहों हेतु ही व्यवस्था की जा सकती है। अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को ५ किग्रा दलहन और ५०० ग्राम खाद्य तेल दिया जा सकता है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध किये जाने के पीछे जो सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क दिया जाता है, वह है समता का अन्न का अधिकार सार्वत्रिक होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो वंचित किसे रखें और किस तरह रखें, यह सवाल खड़ा होता है और उसमें अनेक लोगों को जाने-अनजाने वंचित कर दिया जाता है। फिर, जैसा नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं, 'गरीबों को दिये जाने वाले लाभ अंत में खराब तरह से दिये जाने वाले लाभ बन जाते हैं।' जिन्हें अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण लाभ नहीं देने के इरादे से अलग रखा जाता है, वही तो वास्तव में सम्पूर्ण व्यवस्था के उचित रूप से काम करने योगदान प्रदान करते हैं। इसके उपरांत, लक्ष्यांक निर्धारित करने में जो खर्च होता है, वह अत्यधिक होता है। उसमें धन खर्च होता है। और गलत पहचान मिलती है। फिर, यदि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सार्वत्रिक बनाया जाए तो सस्ते अनाज की दुकानें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बन सकती हैं, क्योंकि उनके ग्राहकों में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी।

वित्तीय व्यवस्थाएं

अन्न अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन होने से जो खर्च होगा, वह राजकोषीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इस कानून के अधीन नई योजनाएं क्रियान्वित करने को रखी जाएंगी और उन पर जितना खर्च होगा तथा वर्तमान योजनाओं का जितना विस्तार

होगा, इस पर ही अन्न अधिकार कानून में क्रियान्वयन की वजह से होने वाला खर्च निर्भर रहेगा।

२००९-१० के बज़ट के अनुसार केन्द्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए ८००० करोड़ रु., आईसीडीएस के लिए ६०२६ करोड़ रु., सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना के लिए ६५२३ करोड़ रु. तथा अन्न सबसिडी के लिए ४३६२७ करोड़ रु. आवंटित किये हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल ६४१७६ करोड़ रु. का खर्चा होता है। एक ऐसा अनुमान है कि यदि आईसीडीएस के अधीन आवश्यक गुणवत्ता के साथ सेवाएं प्रदान की जाएं तो ३०,००० करोड़ रु. से अधिक राशि की आवश्यकता रहती है। फिर,यदि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन ३५ किग्रा अनाज प्रदान किया जाए तो १.१५ लाख करोड़ रु. का खर्चा होने का अनुमान है। इस प्रकार अन्न अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का खर्चा वर्तमान में इस प्रकार की योजनाओं के लिए होने वाले खर्चे से दुगना हो जाएगा। प्रत्येक बीपीएल परिवार को प्रतिमाह २५ किग्रा अनाज देने का वचन कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में दिया गया था। परंतु यह स्वीकार नहीं है, इसकी वजह यह है कि- (१) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन अंत्योदय अन्न योजना में ३५ किग्रा अनाज देने की व्यवस्था है ही। (२) सार्वजनिक न्यायालय ने भी ३५ किग्रा अनाज के अधिकार को अपने आदेशों में प्रस्थापित किया है।

इस अर्थ में देखें तो सवाल देश के तमाम परिवारों के लिए अन्न का अधिकार खड़ा करने का है, किसे यह अधिकार देना है और किसे यह अधिकार नहीं देना है, यह चर्चा का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कारण यह है कि यदि बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए ही सस्ते अनाज की व्यवस्था की जाती है तो योग्यता धारी अनेक परिवार लाभ से वंचित रहते हैं और अयोग्य परिवार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का लाभ लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं, अतः इस समग्र व्यवस्था को सार्वत्रिक बनाया जाना चाहिए और उसमें इतना खर्चा होगा। २०१०-११ का बजट लगभग ११.२० लाख करोड़ रुपयों का है। यदि अन्न के अधिकार के लिए १.५० लाख करोड़ रु. का भी खर्च हो तो कुल खर्च का लगभग १३.३९ प्र.श. होगा। उसमें सभी प्रकार के प्रशासनिक व्यय और वेतन आदि के व्यय का समावेश हो जाता है। इस खर्च को घटाया जाए तो गरीबों को पोषण या अनाज के खर्च हेतु १ लाख करोड़ रु. से अधिक खर्च नहीं होगा।

अन्न का अधिकार

खाद्य वस्तुओं के ऊंचे भाव की वजह से दुनिया भर में अन्न सुरक्षा का जो संकट खड़ा हुआ है, उसके स्थायी समाधान के रूप में पर्याप्त अन्न के अधिकार को आधारभूत मसला माना गया है। इस संकट ने असहाय लोगों पर अधिक विपरीत ढंग से असर डाला है। २००९ में अन्न सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) द्वारा उच्च स्तरीय बैठक में अन्न के अधिकार को महत्त्वपूर्ण माना गया था। यहा सचिव बान की मून द्वारा अन्न सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अन्न के अधिकार का समावेश विश्लेषण कार्य और उत्तरदायित्व के आधार के रूप में करने के लिए बताया गया था।

अन्न का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है, जिसका समावेश अंतर्राष्ट्रीय कानून में किया गया है। मात्र भुखमरी को रोकने के लिए नहीं, वरन् स्वास्थ्य और सुख के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होना और उसे खरीदने की शक्ति सभी के पास होना जरूरी है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

अन्न अधिकार अधिनियम बनाया जाए, उसके संदर्भ में कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दे ध्यान में लेने योग्य हैं:

(१) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-२००५ वास्तव में अन्न के अधिकार को चरितार्थ करने की दिशा में एक कदम है। उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि काम मांगने पर काम मिलेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। फिर बहुत से लोग बुढ़ापे व बीमारी की वजह से भी इस कानून के अधीन रोजगार नहीं पाते। अतः इस समय अंत्योदय योजना के अधीन एक परिवार को ३५ किग्रा अनाज दिया जाता है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए।

(२) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अर्थात् सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था सार्वत्रिक बनाई जानी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो लक्ष्यांकित व्यवस्था से जो परिवार बाकी रह जाते हैं, वे

विश्व अन्न सुरक्षा शिखर परिषद

इटली की राजधानी रोम में १६-१८ नवंबर २००९ के मध्य यूरोपीय देशों की विश्व अन्न सुरक्षा शिखर परिषद दुनिया से भुखमरी दूर करने के लिए कदम उठाने हेतु आयोजित की गई थी। उस परिषद में जो घोषणाएं की गई थी उनके कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(१) संबंधित देश की योजनाओं में निवेश करना तथा उचित तरीके से बनाये गए कार्यक्रमों तथा परिणाम आधारित कार्यक्रमों व भागीदारियों के लिए संसाधन जुटाना।

(२) शासन की व्यवस्था सुधारने के लिए संसाधनों के अधिक उत्तम आवंटन को प्रोत्साहन देने के लिए तथा प्रयास दोहराये न जाए इसलिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक व वैश्विक स्तर पर व्यूहात्मक समन्वय करना।

(३) गरीबी और भुखमरी के मूल कारणों को दूर करने के लिए मध्यम व लंबी अवधि के चिरंतन कृषिगत कार्यक्रमों, अन्न सुरक्षा व पोषण कार्यक्रमों तथा ग्राम विकास के कार्यक्रमों को व्यापक बनाना। इसके लिए यह देखना कि पर्याप्त अन्न का अधिकार प्राप्त हो।

(४) सबसे अधिक असहाय लोग भुखमरी का मुकाबला कर सकें, इस हेतु तत्काल सीधे कदम उठाना।

(५) सुरक्षित, पोषक व पर्याप्त आहार प्राप्त हो करने का सबका अधिकार है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा के संदर्भ में यह अधिकार निरंतर हासिल होना चाहिए।

(६) गरीबी का सामना करने के लिए और अन्न की प्राप्ति बढ़ाने के लिए ग्राम विकास, रोजगार के सृजन व आमदनी के समतापूर्ण सृजन आदि को समर्थन देना जरूरी है।

(७) उत्पादन बढ़े, उन्नत बीज प्राप्त हों, संसाधन प्राप्त हों और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल खेती हो तथा टिकाऊ खेती के लिए प्रयास बढ़ें, यह जरूरी है।

(८) विकासशील देशों में लघु कृषकों को प्रोत्साहन दिलाने के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए। उन्हें ऐसे सक्षम बनाना चाहिए कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो ताकि विश्व के बाजार में वे समान स्तर पर स्पर्धा कर सकें।

(९) अन्न की वैश्विक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाले कोई कदम न उठाये जाएं। विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन - डब्ल्यूटीओ) के साथ संगत व्यापार में विकृति न लाने वाले कदम उठाने चाहिए।

बाकी नहीं रहेंगे। देश के २०० जिलों से इसकी शुरूआत की जा सकती है।

(३) जो अत्यंत असहाय परिवार हैं उन्हें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन विशेष अधिकार दिये जाने चाहिए। अन्न अधिकार अधिनियम के अधीन यदि अंत्योदय अन्न योजना वाले लाभार्थी परिवारों में वृद्धि की जाए तो यह ध्येय प्राप्त किया जा सकता है।

(४) बालकों को सीधे पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिये हैं, उनका पालन इस कानून के माध्यम से होना चाहिए। इसी भांति, समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अधीन धात्री माताओं, सगर्भा स्त्रियों, किशोरियों और बालकों को जो पोषण प्राप्ति के पात्र हैं, उनका समावेश भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में इस कानून में होना चाहिए।

अन्न अधिकार के साथ के मामले

अन्न अधिकार अधिनियम क्या पोषण व स्वास्थ्य की दशा सुधारने हेतु पर्याप्त है? नहीं। वास्तव में यह उल्लेखनीय है कि कम भाव में अनाज की व्यवस्था करने के उपरांत अन्न के अधिकार में अनेक बातों का समावेश होता है। अन्न के अधिकार का अर्थ है, भुखमरी, कुपोषण व अन्न के अभाव के साथ संबंधित चीजों से मुक्ति पाना। इस तरह अगर देखें तो अन्न अधिकार अधिनियम को सस्ता अनाज गरीबों दिलाने साथ-साथ उत्तम पोषण की गारंटी वाले अन्य अधिकारों का भी सृजन करना पड़ेगा। इसके लिए कैलोरी, प्रोटीन, चरबी व अन्य पोषक तत्त्व वाला पोषक व संतुलित आहार तो मिलना ही चाहिए। पर साथ ही साथ बाल-संभाल, स्वच्छ पेयजल, सफाई, बुनियादी स्वास्थ्य संभाल आदि भी उपलब्ध होनी चाहिए। फिर, यदि अन्न अधिकार अधिनियम में मात्र अन्न पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाए तब भी जमीन, पानी, जंगल आदि की पहुंच के प्रश्नों के साथ उसे जोड़ना ही पड़ेगा। लोगों के जीवन निर्वाह में ये बातें अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, इसीलिए इन बातों से संबंधित समस्याओं के समाधान भी ढूंढने चाहिए।

राज्य की भूमिका

अन्न के अधिकार को चरितार्थ करने में राज्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, परंतु वह ऐसा करने में बहुधा स्थापित हित धारण करने वाली

विश्व अन्न सुरक्षा शिखर परिषदः सामाजिक आंदोलनों की घोषणा

इटली की राजधानी रोम में १६-१८ नवंबर २००९ के मध्य यूरोप के देशों की विश्व अन्न सुरक्षा शिखर परिषद संसार से भुखमरी दूर करने के लिए तत्काल उपाय खोजने हेतु आयोजित हुई थी। इस परिषद के समांतर सामाजिक आंदोलनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज के संगठनों ने १३-१७ नवंबर, २००९ के मध्य परिषद आमंत्रित की थी। उसमें ९३ देशों के किसानों, छोटे मछुआरों, पशुपालकों, आदिवासियों, खेत मजदूरों, शहरी गरीबों, युवकों और महिलाओं के ४५० संगठनों के ६९२ प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस परिषद की प्रकाशित घोषणाओं के कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(१) जो अन्न का उत्पादन करते हैं उनको समतापूर्ण रीति से जमीन, पानी, बीज, मछली, जैव वैविध्य आदि प्राप्त होने चाहिए और उनका उन पर नियंत्रण होना चाहिए। इसका अर्थ है अन्न का सार्वभौमत्व।

(२) अन्न किस तरह उत्पन्न होता है, उसका वितरण किस तरह हो, यह तय करने में सभी लोगों को भागीदार होने का अधिकार है और यह उनका उत्तरदायित्व है।

(३) पर्याप्त, प्राप्य, पहुंचक्षम, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और पोषक आहार के अधिकार को सरकारों द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए। उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह अधिकार पूर्ण करना चाहिए।

(४) आपातकाल में प्रदान की जाने वाली सहायता यथासंभव स्थानीय रूप से प्राप्त होनी चाहिए और देशों को जीन संवर्धित अन्न (जैनैटिकली मोडीफाइड फूड) स्वीकार करने के लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। अन्न का उपयोग राजनीतिक शस्त्र के रूप में नहीं होना चाहिए।

(५) आपातकाल में सहायता प्रदान करने का जिम्मा सरकार का है, परंतु उसमें अन्न का सार्वभौमित्व और मानवाधिकारों का भंग नहीं होना चाहिए।

(६) सशस्त्र संघर्षों, किसी देश द्वारा दूसरे देश पर कब्जे या संकटकालीन दशा में प्रभावित होने वाले लोगों के अधिकारों का भंग नहीं होना चाहिए।

(७) दुनिया भर में भूख से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या लगभग १०० करोड़ से भी अधिक है और यह संख्या बढ़ रही है। ऐसे में पूरे संसार से भुखमरी की दुर्घटना के निवारण हेतु सही उपाय है अन्न का सार्वभौमत्व।

कंपनियों के साथ संघर्ष में आ जाती है। अतएव भारत में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में कंपनियां सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों या योजनाओं पर भारी प्रभाव डालती हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकारें अपनी आचार संहिता निम्नानुसार बनाए तो अन्न के अधिकार को व्यावहारिक बनाने में वे उपयोगी होंगी।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए या नीति-निर्धारण के लिए राज्य व्यापारी अन्न और पोषण क्षेत्र तथा स्थापित हितों के साथ भागीदारी न करें।
- कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अन्न के अधिकार के साथ संघर्ष में आने जैसा कोई भी काम न करे। जैसे कि निजी कंपनियों द्वारा भेंट या पैसा न स्वीकारे, शोध हेतु सहायता भी न स्वीकारे।
- अन्न या पोषण की नीति के साथ संबंधित ऐसे मामलों के विषय में उद्योग क्षेत्र या स्थापित हितों के साथ जो भी सम्पर्क हो वह पारदर्शी होगा। सार्वजनिक सुनावाइयों, विज्ञापनों और दस्तावेजों की घोषणा द्वारा पारदर्शिता स्थापित की जाए।
- सरकारी समिति, परिषद, पैनल या अन्य किसी भी सरकारी संस्था में निजी क्षेत्र को शामिल न किया जाए।
- अन्न और पोषण के क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षण के किसी प्रयास अथवा अन्न और पोषण नीति के साथ संबंधित ऐसे किसी भी प्रयास में सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग न स्वीकारें।
- उद्योग क्षेत्र या स्थापित हितों द्वारा तैयार किये गये नीति विषयक मुद्दे को सरकार न स्वीकार करे, न ही मंजूर करे।
- सरकार यह देखे कि अन्न व पोषण की दवाओं का उपयोग कंपनियों उनकी वस्तुओं के लिए न करे।

शिकायतों का निवारण

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में एक बड़ा अवरोध उसके क्रियान्वयन में विद्यमान कमियां हैं। इन कमियों के प्रभावी निवारण का तंत्र विकसित नहीं हो पाया। जितना अनाज कार्डधारी को चाहिए, उतना अनाज दुकानदार को दिया गया है या नहीं और कितना अनाज वास्तव में कार्डधारी के पास पहुंचता है, इस विषय पर देखरेख के लिए कोई तंत्र सरकार ने विकसित नहीं किया है।

शेष पृष्ठ 16 पर

महिलाओं को संसद एवं विधान सभाओं में आरक्षण

देश की विधान सभाओं और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें सुरक्षित रखने की व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक राज्य सभा में पारित किया गया है। विगत १४ वर्षों से इस विधेयक के संबंध में चलने वाली कशमकश का अंत तो तब आएगा कि जब लोक सभा इसे पारित करे और फिर इसका क्रियान्वयन शुरू हो। संविधान में होने वाले इस संशोधन की जरूरत, इसके सामने उपस्थित अवरोधों और लाभालाभ तथा इसके प्रभाव के बारे में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के मंतव्य यहां प्रस्तुत किये गये हैं।

डॉ. असगरअली इंजीनियर

महिलाओं के १४ वर्ष लंबे संघर्ष के बाद राज्य सभा ने महिला आरक्षण विधेयक को स्वीकृति दे दी है। पिछड़े वर्गों की राजनीति के अलंबरदारों ने बहुत कोशिश की कि यह विधेयक पारित न हो, परंतु वे सफल नहीं हुए। उनकी इस दलील में कोई दम नहीं कि इस विधेयक का लाभ मात्र उच्च जातियों की हिन्दू महिलाओं को ही मिलेगा और पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक महिलाओं को इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह दलील सतही है। हमें सच्चाई को सम्पूर्ण जटिलताओं के साथ समझना चाहिए।

दलितों और पिछड़े वर्गों को पहले से ही आरक्षण दिया जा चुका है और यह व्यवस्था पूर्णतया न्यायसंगत है। परंतु आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाता है तो वे आरक्षण पर अधिक निर्भर हो जाएंगे। जब पिछड़े वर्गों के अल्पसंख्यक पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं तो इन वर्गों की अल्पशिक्षित या अशिक्षित महिलाएं विधान सभा या लोक सभा में क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी यह मानना गलत है कि पिछड़े वर्गों की तमाम महिलाएं अशिक्षित हैं और उच्च जातियों की तमाम महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उच्च जातियों में भी बड़ी संख्या में निरक्षर और अल्पशिक्षित महिलाएं हैं। हमारे देश में महिलाओं में शिक्षण द्रुतगति से बढ़ रहा है और पिछड़े वर्गों को तो एक तरफ रखें, दलित महिलाएं भी अपनी माताओं की तुलना में अधिक शिक्षित हैं। कटु सत्य यह है कि पिछड़े वर्गों में पुरुष यह नहीं चाहते कि उनकी महिलाएं संसद और विधान सभाओं में पहुंचे। वे अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। यदि महिलाएं सांसद और विधायक बन जाएंगी तो वे अपने अधिकारों के संबंध में अधिक जागरूक हो जाएंगी, ऊंची आवाज में बोलने का प्रयत्न करेंगी और पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं में उनके मंतव्य महत्वपूर्ण बन जाएंगे। यह संभावना ही पुरुषों के अहं को ठेस पहुंचाती है।

यदि पिछड़े वर्गों के मसीहा अपनी महिलाओं को आरक्षण दिलाने की इतनी ही ज्यादा आकांक्षा रखते हैं, तो वे अपने दल की सीटें बांटते समय क्यों नहीं ध्यान रखते कि कम से कम एक-तिहाई महिलाएं तो उम्मीदवार बनें? वे आरक्षण के भीतर आरक्षण क्यों मांगते हैं? वे ऐसा इसलिए मांगते हैं ताकि संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम न हो। फिर कौन यह विश्वास दिलायेगा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का लाभ सिर्फ पिछड़े वर्गों की 'क्रीमीलेयर' की महिलाएं नहीं ले लेंगी? अब तक का अनुभव ऐसा रहा है कि आरक्षण का लाभ दलितों और पिछड़े वर्गों के अनुपात में अधिक शिक्षित और समृद्ध वर्गों ने ही उठाया है। पिछड़े वर्गों और दलितों की बहुत बड़ी आबादी आज भी निरक्षरता और गरीबी के अंधकार में जी रही है।

कदाचित, पिछड़े वर्गों के मसीहा इस सत्य का लाभ उठा रहे हैं कि संसद में उनके सदस्यों की संख्या अधिक है। उनके सहयोग के बिना वित्त विधेयक पारित करना संभव नहीं है। यही कारण है कि सरकार को मजबूरी में अपनी व्यूह रचना बदलनी पड़ी और लोक सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया। संभवतः वित्त विधेयक इन दलों के सहयोग से पारित हो जाने के बाद मई माह में सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक लोक सभा में लाया जाऐगा। मई माह में भी पिछड़े वर्गों के नेता लोक सभा में इस विधेयक को लेकर अवरोध खड़ा कर सकते हैं। मुलायमसिंह यादव पहले से ही

महिलाओं के लिए ३३ प्र.श. के बजाय २० प्र.श. आरक्षण के समाधानकारी फार्मूले की बात कह चुके हैं और संभव है विधेयक को लोक सभा में पारित कराने के लिए सरकार यह समाधान स्वीकार कर भी ले। अगर ऐसा हुआ तो यह वास्तव में महिलाओं के साथ अन्याय होगा, लेकिन लोकतंत्र में न्याय अन्याय का कोई महत्व नहीं है। अगर सरकार को समाधान ही करना है, तो उसने १४ वर्ष तक इंतजार ही क्यों किया? संशोधित रूप में यह विधेयक १४ वर्ष पूर्व भी पारित हो गया होता।

मुझे आशा है कि सरकार दबाव में नहीं आएगी और महिलाओं के आरक्षण में कमी नहीं करेगी। नहीं तो यह अन्याय ही होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछड़े वर्गों के जो नेता अपने वर्गों की महिलाओं के हितचिंतक होने का नाटक करते हैं, उनको अपनी पत्नियों को मुख्यमंत्री बनाने में जरा भी संकोच नहीं हुआ था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ऐसी मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लोक सभा या कम से कम विधान सभाओं के चुनाव में उम्मीदवार बनाया होता तो उनका यह इरादा प्रामाणिक लगा होता। महिलाओं की बात तो बाद में आती है, इन दलों ने तो मुस्लिम पुरुषों को भी उनकी आबादी के अनुपात में टिकिट नहीं दिया था। यह मांग मुसलमानों का समर्थन पाने की एक चाल मात्र है। इस तरह की स्वार्थी राजनीति इस देश में अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने में अवरोध बन रही है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इन नेताओं का इरादा पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाना नहीं है। वे तो मात्र पिछड़े वर्गों के 'क्रीमी लेयर' के हितरक्षक हैं।

इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि मुस्लिम समुदाय खुद के लाभ के लिए एकमत नहीं होता। मुस्लिम राजनीतिज्ञ आरक्षण के अंदर आरक्षण की असंगत मांग में अपना स्वर मिलाते हैं और उलेमा अलग-अलग मत व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए चुनाव की राजनीति प्रतिबंधित है। कुछ वर्षों पूर्व जब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्र.श. आरक्षण रखा गया था, तब एक मुस्लिम महिला ने देवबंद नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवारी पत्र भरा था। देवबंद के मुफ्तियों ने तत्काल फतवा जारी किया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना और पुरुषों के बीच प्रचार करना हराम है। इस मुस्लिम महिला ने जब हिम्मत की और फतवे को मानने से इनकार कर दिया, तब मुफ्ती झुके। उन्होंने कहा कि वह चुनाव तो लड़ सकती है परंतु उसे प्रचार करते समय बुर्का पहनना होगा। उस महिला ने इस आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया। उसने चुनाव लड़ा और बिना बुर्का पहने प्रचार किया और अंत में चुनाव जीती भी।

अभी समाचार आया है कि लखनऊ के नदवातुल उलेमा ने ऐसा फतवा जारी किया है कि महिलाओं को घर में रहकर ही काम करना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारे देश के उलेमा यह भी नहीं जानते कि तथाकथित इस्लामी राज्य पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय संसद में महिलाओं के लिए २० प्र.श. प्रतिनिधित्व काफी पहले ही मंजूर कर लिया था। या तो यह खबर उलेमाओं तक पहुंची नहीं अथवा फिर वे उसे भी इस्लाम-विरोधी कहते हैं? भारत के उलेमा दुर्भाग्य से आधुनिक दुनिया से कट गये हैं। वे आज भी मध्ययुगीन इस्लाम के जमाने में जी रहे हैं। मध्यकाल के इस्लामी धर्मशास्त्रियों और कानून-विशेषज्ञों द्वारा लिखी पुस्तकों में इन उलेमाओं ने इस्लाम के बारे में जो कुछ पढ़ा है, उसी को वे सच मानते हैं। उनके मतानुसार महिलाएं सिर्फ पतियों की सेवा करने के लिए ही है और अगर वे कुछ और करती हैं तो वह इस्लाम विरोधी है।

वे तो यह भी देखना नहीं चाहते कि ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में क्या हो रहा है। सऊदी अरब में महिलाओं पर सबसे अधिक प्रतिबंध हैं। लेकिन वहां भी राजा अब्दुल्ला ने एक महिला को केबिनेट मंत्री बनाया। ईरान में महिलाएं संसद के चुनाव लड़ती है और अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सफलता पाई है। कुवैत में महिलाएं बुर्का पहने बिना सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और वे संसद की कार्यवाही में भाग ले सकती हैं। मलेशिया में महिलाएं युद्ध क्षेत्र में काम करती हैं और इंडोनेशिया में मेगावती सुकर्णोपुत्री नामक महिला मुस्लिम देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधान मंत्री थी और बांग्लादेश में कभी खालिदा जिया, तो कभी शेख हसीना के हाथ में सत्ता रही हैं।

मेरा ऐसा अभिप्राय है कि तमाम जातियों व धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य हैं। दबाव में आकर उसे महिलाओं के आरक्षण की संख्या कम नहीं करनी चाहिए। अलग-अलग जातियों और धार्मिक समुदायों के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का तकाजा है कि तमाम महिलाओं के साथ न्याय हो और आरक्षण के अंदर आरक्षण विहीन व्यवस्था में विविध धर्मों और जातियों की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। अगर आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था को एक बार स्वीकार कर लिया गया तो वह व्यवस्था स्थायी हो जाएगी। लोकतंत्र का यह तकाजा भी है कि पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर और मुलायम सिंह तथा लालू प्रसाद जैसे नेताओं के सगे-संबंधियों तक ही आरक्षण का लाभ सीमित न रह जाए।

मधु पूर्णिमा किश्वर

जो कानून महिलाओं के पक्ष में होने का दावा करता हो, फिर भले ही अपने विवरण में वह मूर्खतापूर्ण और नुकसानदायी रहा हो, उसके बहुत लंबे अर्से के बाद संसद से पारित होने का कारण यह है कि महिलाओं को मदद देने का दावा करने वाला कोई भी कानूनी प्रयास एक नैतिक मुलम्मा धारण कर लेता है।

महिला आरक्षण का विधेयक ऐसा पहला कानून है, जिसे संसद के भीतर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह विधेयक प्रत्येक राजनीतिज्ञ के भाग्य को प्रभावित करेगा। अगर गुप्त मतदान करने दिया जाए तो जिन श्रीमती सोनिया गांधी और भाजपा नेताओं ने व्हिप जारी किया था, उनको पता चल जाता कि उनके ही अपने दल के सदस्यों में इस विधेयक के प्रति भारी रोष था। महिला आरक्षण विधेयक के वर्तमान स्वरूप में अत्यंत गंभीर व घातक कमियां हैं। अगर यह कानून बन गया तो उससे हमारी तितर-बितर हो चुकी राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। कुल संसदीय सीटों की महिला आरक्षण वाली एक-तिहाई सीटें लॉटरी पद्धति से चुनी जाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक चुनाव में लगभग १८० पुरुष विधायक अपने मतदान क्षेत्र से उखड़ जाएंगे। उनके बदले १८० महिलाओं को प्रत्येक चुनाव से पूर्व वे मतदान क्षेत्र सौंपे जाएंगे। फिर अगले चुनाव के समय जब उसी तरह से १८० आरक्षित क्षेत्रों की सूची घोषित की जाएगी, तब ये १८० महिलाएं, जो उस समय उन सीटों से चुनी हुई होंगी, वे उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। उसका कारण यह है कि इस विधेयक की बदलती आरक्षण व्यवस्था के कारण एक ही मतदान क्षेत्र लगातार दो बार महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रह सकेगा।

इस प्रकार हमारे एक-तिहाई विधायक हर चुनाव में फेंक दिये जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप महिला प्रतिनिधियों के लिए अपने मतदान क्षेत्र को संभालने और उसके प्रति उत्तरदायी बनने का प्रोत्साहन नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक चुनाव के बाद उनको स्पर्धा से हट जाना पड़ेगा अथवा अन्य मतदान क्षेत्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मतदान क्षेत्र लगातार दो बार महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रह सकेगा। इस प्रकार, आरक्षण की यह मूर्खतापूर्ण व्यवस्था महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए राजनीतिक मतदान क्षेत्र में स्पर्धा के बुद्धिमत्तापूर्ण आयोजन करने की संभावना ही समाप्त कर देती है। अतः उनको कहीं से कहीं उम्मीदवार बना दिया जाएगा, अतः अनिश्चितता की आशंका से वे चुनाव जीतने के लिए अपने पक्ष के पुरुष नेताओं पर अधिक निर्भर रहने लगेंगी। ऐसी दशा में पुरुष राजनीतिज्ञों के लिए अपनी पत्नियों या बेटियों को प्रोक्सी (प्रतिनिधि) उम्मीदवार बनाना और इस तरह बीवी-बेटी ब्रिगेड खड़ी करना आसान हो जाएगा। अगले चुनाव तक इन सीटों को वे इस तरह सुरक्षित रखेंगी, ताकि उनके पुरुष फिर से उन सीटों पर अपना दावा दर्ज करा सकें।

किसी राजनीतिज्ञ की पत्नी या बेटी होना अपने आप में कोई अयोग्यता नहीं है। वकीलों और डाक्टरों की संतानें अपने पिताओं की प्रेक्टिस विरासत में पाते ही हैं। परंतु उनको अपनी शक्ति-सामर्थ्य अपने मरीजों-मुवक्किलों को रोज-रोज बतानी पड़ती है। यद्यपि अधिकांश महिला राजनीतिज्ञों को प्रोक्सी के रूप में राजनीति में इसलिए लाया जाता है, कि वे अपने परिवारों के पुरुषों के राजनीतिक हितों की वे रक्षा कर सकें। जैसे लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी अथवा मधु कोडा की पत्नी। उनको भी इसी भांति परिवार के हित-रक्षण के लिए रबड़ स्टैंप के रूप में लाया जाएगा और उनका उपयोग हो चुकने पर उन्हें वापिस घर भेज दिया जाएगा। हमें यह दशा पोसायेगी नहीं कि हमारी संसद और विधान

सभाएं राबड़ी देवियों से भर जाए। दूसरी अक्षमताओं की बात तो एक तरफ छोड़े, वे महिलाओं के लिए नकारात्मक उदाहरण बनायेंगी, क्योंकि वे महिलाओं की अधीनता की उस विचारधारा को अधिक व्यापक बनायेंगी कि जो घरों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। वे सार्वजनिक और राजनीति क्षेत्र में भी इतनी ही प्रभावशाली बनेंगी। इन महिलाओं का एकमात्र एजेंडा यही होगा कि उनको अपने पतियों की सीटें बचाकर रखनी हैं अथवा सार्वजनिक धन को लूटने के अपराध वाले मामलों से उनकी रक्षा करनी है। वे कुछ और होने का दंभ भी नहीं करतीं। ऐसी महिलाएं किस तरह महिलाओं के हित में काम कर सकती हैं अथवा अन्य महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकती हैं।

वास्तव में यह बीवी-बेटी ब्रिगेड स्वतंत्र विचारधारा वाली उन महिलाओं के आगे आने की राह में अवरोध खड़े करती हैं, जो सार्वजनिक जीवन में अपने बल पर अपना स्थान बनना चाहती हैं। उदाहरणार्थ, भारत में यह एक सर्वमान्य सत्य है कि विविध राजनीतिक दलों की महिला मोर्चे की अध्ययक्ष दल के पुरुष नेताओं की महिलाएं, उनकी महिला संबंधी या दासियां होती हैं। जब तक दल में पुरुषों का प्रभाव बना रहता है, तभी तक इन महिलाओं को वह ओहदा बतौर जागीर दिया जाता है। वृंदा करात, प्रमिला दंडवते या अहिल्या रांगणेकर को भी महिला मोर्चा उनके दल में उनके पतियों के प्रभाव के कारण सौंपा गया था। ऐसी महिलाएं बहुत आसानी से योग्यताधारी अन्य महिलाओं के लिए जगह खाली नहीं करतीं। जो भी महिला दल में प्रविष्ट होती है उसे इन आश्रित महिलाओं के साथ रहते हुए अपनी भूमिका निभानी होती है फिर चाहे वह कितनी ही प्रतिभाशाली क्यों न हो। इस प्रकार अधिकांश महिलाओं का राजनीतिक पहल-प्रयास दब जाता है। दलों के महिला-मोर्चे उन्हें प्रोत्साहन नहीं देते।

मुख्य दल और महिला मोर्चे के बीच पारिवारिक संबंध होता है, जिससे महिला मोर्चे की राजनीति भी दल के प्रति वफादार रहती है। अधिकांशतः महिला मोर्चे का मुख्य प्रयोजन ही महिलाओं के प्रश्नों के प्रति कुछ पक्षपाती बनने का होता है। उदाहरण के लिए, यदि कांग्रेस दल से संबंधित लोगों द्वारा बलात्कार किया गया हो तो विपक्षी महिलाएं कांग्रेस के सामने शोर मचाती हैं। परंतु यदि उनके अपने दल के पुरुषों द्वारा ऐसे ही अत्याचार होते हैं तो वही महिलाएं चुप रहती हैं। क्या हमने एक भी ऐसी कांग्रेसी महिला देखी है, जिसने १९८४ के सिखों की हत्या में शामिल अपने दल के लोगों के खिलाफ अपनी भावना सार्वजनिक रूप से व्यक्त की हो? या फिर क्या ऐसी कोई एक भी भाजपा महिला है कि जो गुजरात के दंगों में पीड़ित लोगों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से सामने आई हो? वर्षों तक ममता बनर्जी ग्रामीण बंगाल में सीपीएम के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली हिंसा के लिए चीखती रही हैं, बलात्कारों के खिलाफ बोल रही हैं, वे कहती रही है कि पश्चिमी बंगाल में मुक्त एवं न्याय-सम्मत चुनाव नहीं हो रहे हैं। सीपीएम की महिलाओं ने अपनी लाक्षणिक शैली में ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है, पर पश्चिमी बंगाल में हिंसा की संस्कृति को समाप्त करने में उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर राजनीतिक गालियों की ही बरसात की है।

महिलाओं की समस्याओं के प्रति हमारे देश में अभी तक महिला केन्द्रित राजनीति का तैयार नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वर्तमान आरक्षण विधेयक में आरक्षण की जो विचारहीन योजना समाहित की गई है, उसमें तो महिलाओं की जगह पूरी तरह से बीवी-बेटी बिग्रेड का वर्चस्व ही आएगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के विचार को फेंक दिया जाएगा। जब यह विधेयक लोक सभा में आएगा, तब सांसदों को इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर गुप्त मतदान की मांग करनी चाहिए। यदि विधायकों को अपने मतानुसार मतदान करने का अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र निरर्थक सिद्ध होगा। *(स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस, १०.३.२०१०)*

कमला भसीन

महिलाओं के लिए आरक्षण का विधेयक उत्सव मनाने का अवसर है। वह अभी राज्य सभा में ही पारित हुआ है। लोक सभा में पारित होना बाकी है और शायद यह अधिक मुश्किल भी है। लेकिन यह पहला कदम भी सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, वरन् इस देश के समस्त न्यायप्रिय लोगों के लिए बड़े उत्सव का अवसर है।

भारत में स्वतंत्रता के समय से अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर बहुत कम महिलाएं रही हैं। इंदिरा गांधी दुनिया भर में बहुत कम महिला

प्रधान मंत्रियों, राष्ट्र प्रमुखों में से एक थीं। लेकिन बहुत थोड़ी महिलाओं की हाजरी का अर्थ यह नहीं कि जिस तादाद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उस संख्या में ये है। भारत के लोकतंत्र को ६२ वर्ष हो गए, फिर भी संसद में कभी भी ११ प्र.श. से अधिक महिलाएं नहीं रहीं। इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, देश की राष्ट्रपति महिला है, फिर भी राजनीति में बहुत महिलाएं नजर नहीं आतीं। यह हकीकत ही इस ओर इंगित कर रही हैं कि महिलाएं आगे आयेंगी, ऐसी आशा रखने के बदले कुछ करना जरूरी है। भारत की राजनीति में अथवा दक्षिण एशिया की राजनीति में जिस तरह की महिलाएं हैं, वह भी एक मुद्दा है। वे ज्यादातर जेल में गये प्रधान मंत्रियों, राष्ट्रपतियों या मुख्य मंत्रियों की पुत्रियां या पत्नियां हैं। परंतु राजनीति में महिलाओं के आने के लिए यह उपयुक्त कारण नहीं है। वैसे ये महिलाएं गृहिणियों से सीधे ही राजनेता बनी हैं। उनका काम उनके पतियों या पिताओं की की तुलना में खराब नहीं था, फिर भले वे घर से संसद में आई हों।

ऊंचे पदों पर कम महिलाओं के पहुंचने का एक कारण तो यह है कि राजनीतिक दलों में हम अधिक महिलाओं को नहीं ला सके और हमारे राजनीतिक नेता अब भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। हमारी संस्कृति अब भी पुरुषों के वर्चस्व वाली है और हमारी राजनीति मुख्यतः पुरुष-प्रधान है। राजनीति में शामिल हो पाना महिलाओं के लिए आसान नहीं। यूरोप में अलग ढंग से महिलाओं के लिए आरक्षण है। कई देशों में राजनीतिक दलों ने आरक्षण की नीति क्रियान्वित कर रखी है। अतः महिलाओं के लिए आरक्षण जरूरी है। कहा जाता है कि महिलाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम ३३ प्र.श. आरक्षण तो होना ही चाहिए।

दक्षिण एशिया में हमारे बजाय परिस्थिति अच्छी है, नेपाल में ३३ प्र.श. और पाकिस्तान में २२ प्र.श. महिलाएं सांसद हैं। अतः लोक सभा अब ३३ प्र.श. आरक्षण का विधेयक पारित करे, इसके लिए समय हो गया है। महिलाओं की आबादी ५० प्र. श. है। देश में जो विधायिकाएं बनती हैं वे पुरुषों और महिलाओं दोनों पर असर डालती हैं। लोकतंत्र तो वही कहलाता है कि जहां सभी वर्गों को देश का भविष्य तय करने का अवसर मिले।

वे अच्छा काम करती हैं या खराब, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक कानून महिलाओं पर प्रभाव डालते हैं। अतः कैसा कानून होना चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए इत्यादि के बारे में निर्णय लेने वाली महिलाएं होनी चाहिए। हम महिलाओं ने क्या किया है और पुरुषों ने क्या नहीं किया, यह सवाल नहीं है। वास्तव में, पुरुषों ने अच्छा काम किया हो, तब भी निर्णय करने के लिए संसद में महिलाओं की जरूरत है और तमाम आरक्षण के पीछे यही सिद्धांत काम करता है, फिर भले ही वह जाति आधारित हो या धर्म-आधारित हो या स्त्री-पुरुष के सामाजिक भेदभाव पर आधारित हो। फिर, संसद में महिलाओं की उपस्थिति से संसद का चरित्र बदल जाएगा। हमारी संसद पुरुषों का क्लब है। १०-११ प्र.श. महिलाएं दृश्यमान नहीं हैं। संसद में हम जो गुंडागर्दी देखते हैं वह कम होगी। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां स्वभाव से ही कम उपद्रवी हैं, पर वे संस्कार से वाकई कम उपद्रवी हैं। संस्कृति, सभ्यता और इतिहास कहते हैं कि महिलाएं में एक-दूसरे की परेशानियों को सुनने की संभावनाएं अधिक होती हैं।

एक बार संसद में महिलाएं अधिक तादाद में आएंगी तो ऐसी धारणा बदल जाएगी कि महिलाएं ऊंची नहीं, निम्न स्तर की हैं। उदाहरणार्थ बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधान मंत्री बनी तो अचानक ही सामान्य मुस्लिम महिलाओं को लगा कि वे ताकतवर बन गई हैं। कोई शासक महिला हो, इससे ही बड़ा परिवर्तन होने और कुछ हासिल होने का अनुभव होता है। अतः राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है, ऐसी परंपरागत विचारधारा का बदलना जरूरी है। नारीवादी इसलिए मजाक करते हैं, 'महिलाओं का स्थान गृह है', इसीलिए संसद के दोनों गृहों में उन्हें होना चाहिए।

यह संभव है कि इस आरक्षण का लाभ थोड़े अर्से के लिए उच्च वर्ग की महिलाओं को मिले, पिछड़ी को न मिले। परंतु ऐसी बातें तो जाति आधारित आरक्षण के लिए भी कही जा सकती हैं। आज जो तथाकथित समाजवादी नेता इस आरक्षण के खिलाफ लड़ते हैं, वे दलितों के आरक्षण के खिलाफ यही तर्क क्यों नहीं देते? क्या लालू प्रसाद और मुलायम सिंह की पत्नी और बेटियों की तरह ही

वहां नहीं हुआ? यदि यही राजनीति का स्वभाव हो तो फिर यह महिला आरक्षण में भी हो सकता हैं।

किस प्रकार की महिलाएं राजनीति में आयेंगी, वह आरक्षण पर निर्भर नहीं, वह तो राजनीतिक दलों पर आधारित है। यदि राजनीतिक दल अन्याय करने वाले और अनुचित हों और यदि वे अल्पसंख्यकों के प्रति असमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले हों तो ऐसा हो सकता है। परंतु इसे आरक्षण की निष्फलता नहीं कहा जाएगा, राजनीतिक दलों की दुर्बलता कहा जाएगा। उनके अधिक समतापूर्ण, न्यायी और समावेशी बनाने की जरूरत है। राजनीतिक दलों में कैसे लोगों को समाया जाता है, इस पर ही यह निर्भर होगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा होगा। इस समय तमाम राजनीतिक दलों में हिंदुओं का वर्चस्व है और कई जातियों का वर्चस्व है, इस सच्चाई को नही भूलना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारी राजनीति में तमाम खराबियां इससे दूर होने वाली नहीं हैं। महिला आरक्षण विधेयक से जाति, वर्गों, धर्मों के बीच भेदभाव का निवारण होना संभव ही नहीं है। वह सिर्फ महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने का साधन है। यदि राजनीतिक दलों की न्याय में रुचि हो तो उन्हें अपनी पत्नियों व पुत्रियों को नहीं वरन् तमाम वर्गों व जातियों में से योग्यताधारी महिलाओं को उम्मीदवार बनाना चाहिए।

महिलाओं की सक्षमता की दिशा में यह एक कदम है। उनका सशक्तिकरण कोई एक ही कदम से नहीं होने वाला। वंचित जातियों के आरक्षण से देश से जाति व्यवस्था कोई निर्मूल नहीं हुई। परंतु इस कदम के साथ-साथ, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं को निर्बल बनाने वाले कानून, संस्कृति व धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध लड़ाई इत्यादि तो चालू रखनी ही पड़ेगी। महिला आरक्षण विधेयक तो एक कदम है और हमें ऐसे तमाम कदमों की जरूरत है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के समक्ष लड़े, क्योंकि ये मात्र संसद में ही नहीं, ये हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा, अर्थशास्त्र, कॉलेजों और संचार माध्यमों में सर्वत्र है। अतएव यह लडाई जारी रखनी ही पड़ेगी।

स्रोतः 'वनवर्ल्ड साउथ एशिया' की सुश्री ऐना नाथ को दिया गया साक्षात्कार)

चंदु महेरिया

लगभग सवा दशक से भारत के राजनीतिक मंच पर चर्चा के निशाने पर बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल अंततः राज्य सभा में बहुमत से पारित हो गया। १०८वें संविधान संशोधन विधेयक २००८ के रूप में जाने जाने वाले इस विधेयक में लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में स्त्रियों के लिए कुल सीटों की एक-तिहाई सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। संविधान (१०८वां संशोधन) विधेयक २००८ में संविधान के अनुच्छेद २३९ (क) (क) के खंड २ के उपखंड ख में 'अनुसूचित जातियों' शब्दों को सुधार कर 'अनुसूचित जातियों और स्त्रियों' शब्द रखा गया है। तथा अनुच्छेद ३३०, ३३१, ३३२ और ३३३ में ऐसी बढ़ोतरी की गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और एंग्लो इंडियन हेतु लोक सभा और विधान सभाओं में जो सीटें आरक्षित रखी जाएं उनमें 'स्त्रियों के लिए अब आरक्षित सीटें रखी जाएंगी' ऐसी व्यवस्था की गई है।

भारत में स्त्री का स्थान और प्रतिनिधित्व

भारत में करीब आधी आबादी वाली आधी दुनिया जैसी स्त्रियों को सेकंड सेक्स या निम्न माना जाता है। उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमारी विधान सभाओं में देखने को नहीं मिलता। भारत की सर्वोच्च संसदीय संस्था लोक सभा में लगभग १५ चुनावों के बाद भी महिला प्रतिनिधित्व मुश्किल से १० प्र.श. तक पहुंचा है। जहां तक महिला प्रतिनिधित्व का सवाल है, वहां तक १३५ देशों की संसदों में भारत का स्थान ठेठ १०६ नंबर पर है। अफ्रीकी देशों में या पिछड़े समझे जाने वाले मुस्लिम देशों की तुलना में भी भारत का स्थान बहुत नीचे है।

अफ्रीकी देश रवांडा की संसद में महिलाएं ४८ प्र.श. है तो स्वीडन और क्यूबा में क्रमशः ४७ और ४३ प्र. श. हैं। २० प्र. श. से अधिक महिला प्रतिनिधित्व वाले जो २१ देश हैं, उनमें ईराक (२५ प्र. श.), पाकिस्तान (२२.५ प्र. श.), चीन (२१.३ प्र. श.) जैसे एशियाई देशों की तुलना में भारत की वर्तमान स्थिति में यदि समाज, राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल अपने आप विधान गृहों में स्त्रियों को प्रतिनिधित्व नहीं देते तो फिर कानून का चाबुक ही एकमात्र साधन शेष रह जाता है।

महिला आरक्षणः अतीत और वर्तमान

लगभग विगत १४ वर्षों से लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्र. श. आरक्षित सीटें रखने का मुद्दा बराबर चर्चा में रहा है। १९९२ में ७३वें और ७४वें संशोधन के मार्फत पंचायतों और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में स्त्रियों के लिए आरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था की गई थी। इसी दिशा में आगे बढ़ कर लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में भी महिला आरक्षण शुरू करने हेतु संविधान संशोधन करने हेतु सरकार प्रयत्नशील रही है।

ग्यारहवीं लोक सभा में, 'प्राइम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक' माने जाने वाले एच. डी. देवगौड़ा की सरकार ने सर्वप्रथम ८१वें संविधान संशोधन के मार्फत १२वीं सितंबर १९९६ को ३३ प्र. श. महिला आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत किया तभी से महिला आरक्षण चर्चा और विवाद का मुद्दा बन रहा है। वी. पी. सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और सामाजिक न्याय का विचार राष्ट्रीय एजेंडा में रखा गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य पिछड़े वर्ग सत्ता में आए। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, नीतिश कुमार, शरद यादव, मायावती और ऐसे कई दलित-पिछड़े नेताओं का डंका बजने लगा। समाज के तथाकथित उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान गृहों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि चुने जाते रहे। राज्य व राष्ट्र की राजनीति में शक्तिशाली बनते इस अन्य पिछड़े वर्गों और सामाजिक न्याय की उनकी मांग महिला आरक्षण द्वारा टूटती मालूम हुई।

पहली बार राजनीति और सार्वजनिक जीवन में अपनी आवाज बुलंद करने वाले पिछड़े वर्ग के पुरुषों को लगा कि अगर महिला आरक्षण होगा तो उनका स्थान तथाकथित उच्च वर्ग की महिलाएं ले लेंगी और बड़ी मुसीबत से 'सामाजिक न्याय' का जो मुद्दा सतह पर आया है, वह डूब जाएगा। लालू-मुलायम ने अत्यंत वाचाल बन कर कहा भी 'आरक्षण का पद लाभ सवर्ण जातियों की बाल-कटी (बोब्ड हेयर) महिलाएं ले जायेंगी', अतः उनकी मांग थी कि वे ३३ प्र श. महिला आरक्षण का समर्थन इस शर्त पर करेंगे कि उसमें मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का विश्वास मिले। 'कोटा विदिन कोटा' की उनकी मांग किसी तरह से अनुचित न थी और पंचायतों व स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में उसे स्वीकार किया जा चुका है, ऐसे में यहां उनकी मांग ठुकराना उचित नहीं था। लेकिन पहले एन.डी.ए. और बाद में यू.पी.ए. की सरकारें यह बात मानने को तैयार न थीं। अनेक बार सर्वदलीय बैठकें मिलीं, लेकिन सर्वसम्मति नहीं हो सकी और जब-जब महिला आरक्षण का बिल संसद में रखा गया, तब-तब भारी विरोध के बीच वह पारित नहीं हो सका।

१९९६ का ८१वां संविधान संशोधन संसद की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया। वामपंथी सांसद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली समिति ने उसमें कई संशोधन सुझाये, पर ग्यारहवीं लोकसभा की समाप्ति के साथ वह विधेयक भी रद्द हो गया। उसके बाद १२वीं लोकसभा की समाप्ति के साथ वह विधेयक भी रद्द हो गया। तदुपरांत १२वीं लोकसभा में १४ दिसंबर १९९८ को ८४वें संविधान मार्फत महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत करने का प्रयास शुरू हुआ था, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति के अभाव में वह पारित नहीं सका। स्थायी व ऊपरी गृह राज्य सभा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ५ मई २००८ को १०८ वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में फिर एक बार महिला आरक्षण के लिए प्रयास किया, तब भी पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर फिर से संसद में तूफान मचा। बिल को प्रस्तुत करने वाले तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज को संसद की महिला सदस्यों द्वारा कोर्डन करके बचाना पड़ा। यू.पी.ए. के समर्थक और सरकार के भागीदार दलों के ही विरोध की वजह से बिल पारित नहीं हो सका।

महिला आरक्षण बिलः विरोध के बीच स्वीकृत

१५वीं वर्तमान लोक सभा में लालू, मुलायम, शरद यादव, मायावती का दबदबा कुछ कम हुआ और कांग्रेस को कुछ सीटें ज्यादा मिली तो संसद के वर्तमान सत्र के आरंभ में ही सरकार ने राष्ट्रपतिजी के मार्फत संसद के इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल मंजूर कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ८ मार्च को कानून मंत्री वीरप्पा मोईली ने महिला आरक्षण विधेयक को राज्य सभा में फिर से प्रस्तुत किया। समाजवादी दल, जनता दल (यू), बहुजन समाज दल और राष्ट्रीय जनता दल के सांसदो ने बिल का भारी विरोध किया। राज्य सभा के अध्यक्ष से बिल की प्रतियां छीन

लीं और उनके आसन तक पहुंचकर चर्चा को रोक दिया। यद्यपि मुख्य विपक्षी दल भाजपा और वामदलों ने समर्थन देने का भरोसा दिया था, पर संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए ७ सांसदों को सत्र की समाप्ति तक सस्पेंड कर दिया गया। अगले दिन ९ मार्च को देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले के जन्म दिन की पूर्व संध्या को बहिष्कृत सांसदों को मार्शलों द्वारा बलपूर्वक संसद से बाहर धकेला गया और बिल चर्चा व मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया। महाराष्ट्र शेतकरी कामदार दल के राज्य सभा सदस्य शरद जोशी के १ विरुद्ध व शेष १९१ के समर्थन के साथ महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया गया। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह अक्षरशः ऐतिहासिक क्षण था।

वाम एवं दक्षिणी एकता

भाजपा की सुषमा स्वराज और सीपीएम की वृंदा करात को हाथ में हाथ डाले विजयी मुद्रा में झूमते हुए देखना वाकई एक खुशी का अवसर था। सोनिया गांधी ने सरकार पर संकट होते हुए महिला बिल का आग्रह रखा, इसमें उनकी दूरंदेशी कितनी थीं और उत्तर भारत में ताकतवर होने वाली दलित पिछड़े वर्ग की नेतागिरी का भय किताना था, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। इस महिला आरक्षण बिल के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने सदस्यों के नाम तीन पंक्ति का व्हिप जारी किया था। उसका अर्थ यह हुआ कि दोनों दलों की अपने सांसदों के स्वतंत्र मत के बदले दल (याने नेता का) मत थोपना पड़ा था। वाम दलों को ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं करना पड़ा, इससे उनके सांसदों की दल के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता अवश्य नजर आती है लेकिन इस देश के वाम दलों को 'सर्वहारा क्रांति' की आग में कभी जाति का प्रश्न समझ में नहीं आया। वह पश्चिम बंगाल को खोने के मुहाने पर है, तब भी उसे समझ में नहीं आता, यह करुण वास्तविकता है।

वाम-दक्षिण के समर्थन के बल पर कांग्रेस राज्य सभा में तो जंग जीत गई है, पर लोक सभा में बिल को पारित कराना आसान नहीं। भाजपा के पिछड़े वर्गे के नेता (दल के चीफ व्हिप सहित) के विरोधी स्वर सुनने को मिले हैं तो यह बिल पारित करवा कर कांग्रेस मैदान न मार ले, इसकी भी भाजपा की चिंता है। तो बिल के विरोधियों पर दूरगामी प्रभावी डालने वाली महिला आरक्षण व्यवस्था वाला यह संवैधानिक संशोधन मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों को सत्ता के केंद्र से दूर धकेलने वाला बन जाने का भय है।

दलित, आदिवासी, एवं महिला आरक्षण

जहां तक दलितों-आदिवासियों का सवाल है, इस विधेयक में उनकी आरक्षित सीटों में एक तिहाई महिला आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। भारत के संविधान में जब अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष व्यवस्थाएं (आरक्षण सहित) की गई हैं तब संविधान के रचनाकारों को क्या पुरुष आधिपत्य का ख्याल नहीं था? फिर राजनीतिक आरक्षण हर दशक में बढ़ाया जाता है। सन् २०२० तक दलित आदिवासियों के लिए राजनीतिक आरक्षण तो बढ़ाने की व्यवस्था अभी संसद के गये सत्र में ही की गई है, तो क्या तब भी सरकार को उसमें यह संशोधन शामिल करना नहीं सूझा? वह ठेठ १०८ वें संविधान संशोधन दस्तावेज में उस अनुसूचित जाति - जनजाति की वर्तमान आरक्षण में एकतिहाई महिला आरक्षण रखती है?

जाति की उपेक्षा क्यों?

राज्य सभा में पारित १०८वें संविधान संशोधन विधेयक के उद्देश्यों व कारणों की जानकारी देते हुए कहा गया कि, 'महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा विभिन्न मंचों पर प्रायः उठता रहा है। स्त्रियों का राजनीतिक सशक्तिकरण लिंग-आधारित असमानता व भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली और मजबूत हथियार के रूप में उचित माना गया है। इसलिए सरकार विधान सभाओं और लोक सभा में स्त्रियों हेतु एक-तिहाई सीटें आरक्षित रखने को कटिबद्ध है।' यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने मात्र से सशक्तिकरण हो जाता हो तो ६० वर्षों के दलित आदिवासी आरक्षण के बाद हर दशक में इस आरक्षण को बढ़ाने की जरूरत न पड़ी होती।

समानता स्थापित करने के लिए क्या सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही एक मात्र उपाय है? फिर कानूनी उपचार करके, संवैधानिक सुधार करके, महिला या दलित आदिवासी आरक्षण न दिया जाए तो क्या वाम समेत कोई राजनीतिक दल उनको प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं? याद रहे कि जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं,

ऐसी कांग्रेस कार्यकारिणी के चुनाव में दिग्गज दलित नेता बूटासिंह भी हार गए थे। नरसिंहराव के जमाने में आयोजित उस चुनाव में बूटासिंह को कांग्रेस कार्यकारिणी में कोओप्ट करना पड़ा था। राज्य सभा में आरक्षित सीटों की व्यवस्था न होने से आदिवासी दलित प्रतिनिधित्व लोक सभा में जितना है, क्या उतना ही राज्य सभा में है? केंद्र और राज्यों के मंत्री मंडल में आरक्षण न होने से दलित आदिवासियों को कितनी तादाद में समाया जाता है और कैसे विभागों के मंत्री बनाये जाते हैं, यह जगजाहिर है। देश के सर्वोच्च प्रधान मंत्री पद पर मात्र जाति के कारण ही न पहुंचे जगजीवनराम के ऐतिहासिक उद्‌गार थे: 'इस देश में चमार का बेटा कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता।'

मात्र सशक्तिकरण या समानता भी?

महिला आरक्षण बिल स्त्रियों की सशक्तिकरण की दिशा में एक उल्लेख योग्य कदम है, पर यह राजनीतिक दलों की स्त्रियों के प्रति उपेक्षा का भी परिणाम है। राजनीतिक दलों को स्त्रियों के ढेरों वोट तो चाहिए, पर उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता। महिला आरक्षण के मार्फत कदाचित स्त्री-सशक्तिकरण तो हो जाएगा, पर स्त्री समानता तो बहुत दूर की बात होगी। वर्तमान बिल में संविधान में अनुच्छेद ३३४ जोड़ कर स्पष्ट किया गया है कि महिला आरक्षण मात्र १५ वर्षों के लिए ही है और महिला आरक्षण सीटें हर पांच वर्ष बाद रोटेशन से बदलती रहेंगी। इस व्यवस्था ने ही इस बिल वाले महिला आरक्षण को पंगु बना दिया है। अनुसूचित-जाति जनजाति के २२ प्र. श. आरक्षण में महिला आरक्षण को शामिल करना और ३३ प्र. श. महिला आरक्षण में कोई आरक्षण न रखना कांग्रेस-भाजपा की गरीब स्त्री विरोधी नीति है। महिला आरक्षण होगा और सामाजिक न्याय को तो तहस-नहस कर दिया जाएगा। लालू-मुलायम-मायावती के सामाजिक न्याय की राजनीति को अतीत बना डालने की पैरवी इटालियन सोनिया के वर्तमान कदमों में साफ मालूम पड़ती है। जाति की राजनीति से इनकार करने में न वाम दलों की जय है, न दक्षिणपंथियों की। यह जितना जल्दी समझ में आए, उतना ही अच्छा है।

पृष्ठ 7 का शेष

दुकानदारों के पास से अनाज को पैर लग जाते हैं, इसका मुख्य कारण यही है। नये कानून में यदि कानून के अधीनस्थ अधिकार का उल्लंघन हो तो दंड मिले, जिसके अधिकार का भंग हुआ है, उसे मुआवजा मिले और नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था खड़ी हो, ऐसी व्यवस्थाएं होनी अनिवार्य है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में इस प्रकार की दंडात्मक व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं। इसके उपरांत, देखरेख हेतु स्थानीय स्तर पर ग्राहक सुरक्षा समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है, पर वह प्रभावी नहीं है। इस अनुभव को नयी व्यवस्था में ध्यान में रखना जरूरी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में भी यह एक बड़ी त्रुटि है। इसमें भी शिकायतों के निवारण की व्यवस्था अत्यंत दुर्बल है। यदि कानूनी व्यवस्थाओं की अवमानना की जाए अथवा उनका क्रियान्वयन ही न हो तो फिर उन व्यवस्थाओं का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तब दंड और मुआवजे की व्यवस्था प्रस्तावित अन्न अधिकार अधिनियम में की जाए, यह जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर देखरेख हेतु ऐसी व्यवस्था व्यापक अधिकारों के साथ स्थापित की जानी चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार जिस प्रकार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना आयोग शासन के साथ काम करते हैं वह महत्वपूर्ण उदाहरण है।

उपसंहार

अन्न अधिकार कानून भारत में क्रियान्वित हो यह एक राजनीतिक मुद्दा है। जो लोग मुक्त बाजार में विश्वास रखते हैं, वे राज्य की व्यवस्था का विरोध करते हैं। अन्न अधिकार कानून राज्य की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। अतः यह सिद्ध करके कि अतीत के अनुभवों के आधार पर राज्य का संचालन बहुत खराब है, इस कानून को व इसके अधीनस्थ व्यवस्था को बदनाम करने का और इसके बजाय बाजार आधारित व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास जोरशोर से होगा, इसमें कोई शंका नहीं। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि इस कानून को और इसके सुचारू क्रियान्वयन को राजकीय संबल मिले। यह अनिवार्य है कि साथ ही साथ राज्य एक कल्याणकारी राज्य की तरह अपनी भूमिका निभाने के लिए और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रवृत्त हो।

अन्न का अधिकारः तीन संगठनों के अनुभव

अन्न का अधिकार व्यवहार में प्रस्थापित कर देने वाली अनेक योजनाओं का देश में क्रियान्वयन हो रहा है। उनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से करने के लिए गैर-सरकारी संगठन देशभर में प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के इस प्रकार के प्रयत्नों को **'स्वाति'** (सोसायटी फोर वीमेंस एक्शन एंड ट्रेनिंग इनीशियेटिव) की **सुश्री फाल्गुनी जाड़ेजा, 'आनंदी'** (एरिया नेटवर्क एंड डेवलपमेन्ट इनीशियेटिव) की **सुश्री जल्पा सुखानंदी** व **सुश्री सुमित्रा ठक्कर** तथा **'उन्नति'** के **श्री राजीव राय** द्वारा यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां इन संस्थाओं का इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जो अनुभव रहा है, उसे प्रस्तुत किया गया है। विविध योजनाओं के क्रियान्वयन में जो कमियां हैं, उन्हें दर्शाकर उनमें सुधार हेतु सुझाव भी बताये गये हैं।

स्वाति

स्वाति संस्था गुजरात के तीन जिलों में कार्यरत हैः सुरेन्द्रनगर, महेसाणा और पाटण। इन क्षेत्रों के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों तथा अपने अधिकार प्राप्त करें, इस उद्देश्य से लोक-आंदोलन शुरू किया गया। इस लोक-आंदोलन का प्रतिनिधित्व नागरिकों का रहे, इस विचार से संस्था ने काम शुरू किया था। सुरेन्द्रनगर जिले के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण बहनों की समस्याओं, प्रशिक्षण व शिक्षण की दिशा में खास जानकारी हासिल करने, अन्याय के विरुद्ध न्याय दिलाने हेतु महिला विकास संघ द्वारा न्याय समिति का गठन किया गया।

स्थानीय स्तर के सवालों को हल करने वाले तथा अन्याय के समक्ष आवाज बुलंद करके अपने अधिकार प्राप्त करने वाले संगठन बनाये गये। इन संगठनों की ताकत से बहनों में अपने अधिकार पाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। ऐसे ही अभिगम को ध्यान में रखते हुए अन्न सुरक्षा अधिकार से कार्य की शुरूआत की गई। अन्न की सुरक्षा की बात करें तो लोगों को हर समय अपनी भूख मिटाने और इच्छित आहार हेतु पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित व पोषक अनाज सुलभ हो, उसे अन्न की सुरक्षा कहा जाता है। गुजरात के विस्मित कर देने वाले विकास के समय भी लाखों गरीब नागरिकों की अन्न सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आज भी गुजरात की कुल आबादी का २० प्र.श. पर्याप्त पोषक आहार प्राप्त नहीं कर पाते। यहां के पांच वर्ष से नीचे के ४५ प्र.श. बालक कुपोषण की हालत में जीते हैं और ग्रामीण अंचल की ५५ प्र.श. महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं।

२००६ के प्रारंभ में सुरेन्द्रनगर जिले में कार्यरत संस्थाओं के साथ इस मुद्दे पर काम करने की शुरूआत की गई। प्रायः बैठकें करके ग्राम स्तरीय मंडलों के साथ चर्चा की गई। उसके बाद व्यक्तिगत सवालों की शुरूआत संगठनों के माध्यम से करके महिलाओं के साथ बैठकें की गई। सिर्फ यही सवाल नहीं था कि अन्न नहीं है, उसके साथ जुड़े काम स्थलांतर, भूमिहीन, अशक्त-निराधार व विधवा बहनों की परिस्थिति गंभीर देखने को मिली थी। हर बार देखने में आया कि गरीब से गरीब समुदाय की बहनों ने अपनी गरीबी को कभी 'हम भूखे हैं' जैसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया, अपितु इसी समस्या को अकसर रोजगार मिले, काम के साथ अनाज मिलता रहे, जैसे शब्दों में ही अभिव्यक्त किया है। इन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता गया कि गरीबी और आजीविका की अनिश्चितता के कारण भुखमरी धीमे-धीमे स्थायी हो रही है। भूख और अपर्याप्त पोषण से पीड़ित नागरिकों की अन्न की असुरक्षा दूर करने के लिए बीपीएल परिवारों की पहचान और गांवों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सरल व पारदर्शी रहे, यह महत्वपूर्ण है। यह भी जरूरी है कि पोषण की असुरक्षा के निवारण हेतु मध्याह्न भोजन योजना और समन्वित बाल विकास योजना का चुस्ती से पालन हो। संस्था द्वारा निम्न प्रवृत्तियां हाथ में ली गई हैं:

- सच्चे बीपीएल परिवारों के साथ अन्याय होता हो तो महिला मंडलों के साथ चर्चा करके शिकायत करना।
- अधिकारलक्ष्यी योजनागत सूचना प्रदान करना।

- सरकारी विभाग के साथ समन्वय करके तहसील व जिले स्तर पर जन-सुनवाई करना।
- मंडलों द्वारा सस्ते अनाज की दुकान पर देखरेख रखने के लिए समिति का गठन किया गया है।
  योजना पारदर्शी बने और देखरेख समिति क्रियाशील बने इसके लिए सुरेन्द्रनगर जिले में अध्ययन हाथ में लिया गया है।
- गांव में ही लोगों को काम दिलाने कि लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अधीन महिला मंडलों द्वारा गांवों में काम शुरू करवाया है।
- ग्राम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए अन्न और नागरिक आपूर्ति सचिव के पास निवेदन करना।
- अन्य राज्यों में और अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान के साथ समन्वय करना।
- शिकायतों पर कदन न उठाया जाए तो सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग करना।

ग्राम स्तर पर अभियान

अन्न सुरक्षा के मुद्दे पर जिले की पांच तहसीलों के ७५ ग्रामों में नागरिकों को सही सूचना देकर अभियान का आयोजन किया गया था। अभियान सें गांवों में पोस्टर व पत्रिका का वितरण किया गया तथा नागरिकों के सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के सवाल सुनकर शिकायत दर्ज करवाई गई। सुरेन्द्रनगर जिले की ४ तहसीलों में तहसील स्तर पर तथा १ जिले स्तर पर अन्न सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जन-सुनवाई की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, पोषक अन्न पाने का अधिकार है, जो उसे मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यवस्थातंत्र में आये, उनकी योजनाओं का नियमानुसार सर्वोच्च न्यायलय के फैसलों का क्रियान्वयन हो। इन जनसुनवाइयों के विवरण साथ वाली तालिका में दिया गया है। इन जन-सुनवाइयों में जो विविध शिकायतें प्राप्त हुई वे नीचे तालिका १ में दी हुई हैं। शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

(१) १६ नागरिकों की शिकायत के अनुसार दुकानदार ने उनको बीपीएल से एपीएल में बदल दिया है।

(२) २५ नागरिकों की शिकायत के अनुसार दुकानदार ने उनके राशन कार्ड में गलत एंट्री की है।

(३) २८ नागरिकों के कहे अनुसार अनाज़ और केरोसीन की कालाबाजारी की जाती है।

(४) ५७ नागरिकों की शिकायत के मुताबिक दुकानदार ने स्टॉक होते हुए भी अनाज का आवंटन नहीं किया।

(५) ६९ नागरिकों के कहे अनुसार (६५ बीपीएल व ४ अंत्योदय) उन्हें नियमानुसार अनाज नहीं मिलता, दुकानदार अपर्याप्त देता है।

(६) ८ नागरिकों के कहे अनुसार माल तौलते समय दुकानदार झांसापट्टी करता है।

(७) ६८ नागरिकों का कहना है कि कार्ड बीपीएल होने पर भी पर्याप्त मात्रा में केरोसिन नहीं देता और उसकी काला बाजारी करता है।

(८) १३३ नागरिकों के कहे अनुसार जो आटा दिया जाता है उसमें सूक्ष्म जीव और इल्लियां होती है, अतः उनके बजाये गेहूं दिये जाएं।

(९) ३ नागरिकों के कहे मुताबिक बिल नहीं दिया जाता, ३ के

तालिका १: सुरेन्द्रनगर जिले में जन सुनवाई

क्रम	तहसील	जनसुनवाई की तारीख	स्थान	उपस्थिति संख्या		कुल प्राप्त शिकायतें	उपस्थित रहे सरकारी प्रतिनिधि
				महिला	पुरुष		
1	चुड़ा	11.6.09	मुस्लिम समाज की बाड़ी	132	46	344	-
2	लींबड़ी	12.6.09	पटेल समाज की बाड़ी	5	52	56	तहसीलदार व रसद अधिकारी
3	पाटड़ी	16.6.09	कडवा पाटीदार की बाड़ी	293	34	170	तहसीलदार व रसद अधिकारी
4	ध्रांगध्रा	18.6.09	ब्रह्मसमाज की बाड़ी	113	58	107	रसद अधिकारी

कहे अनुसार दुकानदार बाहर बोर्ड नहीं टांगता और ३ के कहे अनुसार दुकान समय पर नहीं खुलती।

(१०) ८ नागरिकों के कथनानुसार उनके गांव में निगरानी समिति ही नहीं है।

(११) २७ नागरिकों के कथनानुसार दुकानदार ने स्टॉक में गेहूं होते हुए भी मना कर दिया।

उसके बाद १६ गांवों मे अन्न की व्यवस्था ठीक हुई, नियमित अनाज मिलने लगा। २४ नागरिकों को केरोसिन नियमानुसार मिलने लगा। परंतु संघर्ष अभी जारी है। नागरिकों की जन-सुनवाई के उपरांत अपेक्षा थी कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा और बाकी अनाज मिल जाएगा।

नागरिक अधिकार सहायता केंद्र

पांच तहसीलों में कार्यरत इस केन्द्र पर ८४६ प्रश्न सिर्फ नये राशन कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने जैसे आए हैं। कारण यह है कि अगर कार्ड ही नहीं होता तो बहुतसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा तहसील में तहसीलदारों के साथ समन्वय हुआ कि जब भी किसी गांव से कोई राशन कार्ड का प्रश्न लेकर आएगा, उसका काम यथासमय पूरा करने के लिए रसीद मिलेगी। दैनिक काम पर आगे कार्यवाही फुर्ती से होगी। जन्मतिथि के लिए हलफनामे का खर्च अधिक होने से नागरिक केन्द्र पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि

दो सफल किस्से

(१) पाटड़ी तहसील के जीवनगढ़ गांव की निवासी रामुबहन के साथ राशन में अन्याय होता था। गांव का दुकानदार उसे पर्याप्त अनाज नहीं देता था और वह उसे बार-बार चक्कर लगवाता था। रामुबहन पाटड़ी महिला विकास संघ के कार्यालय नागरिक अधिकार केन्द्र में गईं और अनुरोध किया व उसके विरुद्ध लिखित में तहसीलदार से शिकायत की। सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इस बात को सार्थक करने के लिए रामुबहन ने लड़ाई छेड़ दी और फिर न्याय पाने के लिए पीछे पड़ गई। लिखित में शिकायत की वजह से गांव में विरोध हुआ और दुकानदार ने उसे मिलने वाला अनाज बिलकुल बंद कर दिया। गांव का सरपंच रामुबहन पर गुस्सा हुआ और अंत्योदय कार्ड बंद करके तीन माह का अनाज नहीं दिया। रामुबहन ने बारंबार धक्के खाये। पाटड़ी महिला विकास संघ ने उसकी मदद की, खूब झगड़े किये। तहसीलदाल के कार्यालय से कहा गया कि तुम्हारा कार्ड चालू नहीं होगा, क्योंकि तुमने शिकायत की है, तुमको जो करना हो, कर लेना। इस बात को लेकर रामुबहन बोली कि चाहे मुझे गांधीनगर जाना पड़े, पर अपना कार्ड हासिल करके ही रहूंगी। फिर जब उसने जिला कलेक्टर से शिकायत की तब तहसीलदार ने उसका कार्ड चालू कर दिया।

(२) ध्रांगध्रा तहसील के सोलड़ी गांव की निवासी ताराबहन कम उम्र में ही विधवा हो गई। उसके एक बेटा है। वह परिवार में सक्षम संघर्ष करके रहती है। उसे नया-नया जानने और प्रशिक्षण हासिल करने का विचार आया। दूसरों की मदद करने की इच्छा और काम करने का जोश। कहीं भी प्रशिक्षण हो तो मुझे भाग लेना है, ऐसा सोचकर ताराबहन ने सूचना अधिकार अधिनियम, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी आदि अनेक प्रशिक्षणों में भाग लिया। आज वह अन्य नागरिकों को उनके बारे में समझाती है। विविध योजनाओं के फार्म भरने, सरकारी कार्यालय में जाने जैसे सारे कामों की वह जानकार है। उसके गांव में पिछले ४ वर्षों से सस्ते अनाज के दुकानदार ने गांव में चीनी वितरित नहीं की थी। ताराबहन खुद गई और पूछा कि चीनी क्यों नहीं देते। इस पर उत्तर मिलता कि ऊपर से ही कम आती है। ताराबहन ने आरटीआई का उपयोग किया और तहसील में तहसीलदार से स्टॉक की मांग की। उत्तर में जानने को मिला कि स्टॉक नियमित रूप से दिया जाता है, पर दुकानदार सीधे ही बेच डालता है। तब गांव के लोग दुकानदार के पास गए और आखिरकार जिसकी जितनी चीनी बाकी थी, वह उसे मिली। आज सभी को नियमित रूप से चीनी मिल रही है। जिनके राशन कार्ड संबंधी काम अटक गए हों, आपूर्ति न मिलती हो, ताराबहन उन सबकी मदद करती है। यह बहन स्वास्थ्य विभाग में चिरंजीवी योजना के फार्म भरने में अन्य गांवों की महिलाओं की मदद करती है।

एक वकील कम खर्च में प्रमाण पत्र बनवा कर देता है। पहले १२ से १८ माह का समय लगता था, अब ३ माह के अंदर कार्ड निकल जाता है। इस केन्द्र पर अन्य योजना के फार्म, उनकी पूरी सूचना और सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग करने का मार्गदर्शन मिल जाता है। सुरेन्द्रनगर जिले की तहसील के गांवों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पारदर्शी बने और नागरिकों के सूचना मिलती रहे, इस हेतु पाटड़ी, चुड़ा, लीमड़ी, धांगध्रा तहसीलों के ३८ गांवों में सर्वे किया गया। उनमें से २१ गांवों में दुकानदारों के द्वारा नियमित रूप से जानकारी दर्शाई जाती है।

व्यूह रचना

(१) तहसील में हुई जनसुनवाई के बाद तहसीलदार के साथ एसोसियेशन के प्रतिनिधियों की बैठक।

(२) जिला रसद अधिकारी के साथ एसोसियेशन की बैठक। नागरिकों की समस्याओं में समाधान हेतु कदम उठाये जाएं, जिला देखरेख समिति की मीटिंग बुलाई जाए और समन्वय किया जाए। इस संबंध में रसद अधिकारी द्वारा कदम उठाये गए और तहसील में तहसीलदारों द्वारा शिकायतों पर कदम उठाये गए।

(३) राज्य स्तर पर अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग के समक्ष फेडरेशन की बहनों द्वारा अनुरोध।

(४) केन्द्रीय वाधवा कमिशन के समक्ष फेडरेशन के प्रतिनिधियों और एसोसियेशन द्वारा अपनी बातें प्रस्तुत की गई थीं।

आनंदी

सुरक्षित व पोषक आहार प्रत्येक मनुष्य का बुनियादी अधिकार है। एफएओ (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन) की व्याख्या के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ व सक्रिय जीवन जीने के लिए अपनी पसंद के अनुसार पर्याप्त सुरक्षित व पोषक आहार संबंधी भौतिक आर्थिक पहुंच अर्थात् अन्न सुरक्षा। यह सब सम्मानपूर्वक मिले यही महत्त्वपूर्ण है। भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अन्न सुरक्षा मिलती रहे।

- अन्न का अधिकार भारतीय संविधान की धारा-२१ के अनुसार जीवन जीने के अधिकार के अधीन मूलभूत अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक बार ऐसा उल्लेख किया गया है कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार में अन्न के अधिकार और बुनियादी जरूरतों का समावेश है।
- धारा-३१ (अ) दर्शाती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को आजीविका के पर्याप्त स्रोत पोषण की मात्रा को बनाये रखना तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
- धारा-४८ के अनुसार 'प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना, साथ ही पोषण की मात्रा को बनाये रखना तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है।'

ठोस प्रयासों के अभाव में और परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव आधारभूत सवाल की तीव्रता को बढ़ाता है। सौराष्ट्र अंचल में 'आनंदी' संस्था द्वारा साथी संस्थाओं के साथ मिलकर ३ जिलों की ५ तहसीलों में लोक अधिकार केन्द्र की स्थापना की गई है। तहसील स्तर पर स्वैच्छिक संस्था 'ह्यूमन राइट्स फेलो' और स्थानीय संगठन साथ मिलकर यह केन्द्र चलाते हैं। इस केन्द्र द्वारा अन्न सुरक्षा, आवास, जमीन, चुनाव में महिलाओं की उम्मीदवारी, महिलाओं पर अत्याचार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा हेतु अभियान चलाया गया है। लोक अधिकार केन्द्र द्वारा सूचना के अधिकार का महिला अत्याचार, कानून, पंचायत, स्वास्थ्य, अन्न सुरक्षा, जमीन इत्यादि के विषय हेतु सरकार की नीति और योजनाओं का उपयोग करके लोगों को अधिकार हासिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्न सुरक्षा अधिकार स्थापित करने के प्रयास

- पैरालीगल फेलो कार्यक्रम और ग्राम स्तर पर लोक आधारित मित्रों का प्रशिक्षण।
- तहसील स्तर पर लोक अधिकार केन्द्र द्वारा लोगों को सीधे सहयोग देना।
- ग्राम स्तर पर जागृति अभियान चलाना।
- पंचायतों के साथ बैठक तथा महिला सरपंच व अन्य सदस्यों का प्रशिक्षण।
- अन्न सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन का सर्वेक्षण।
- स्थानीय स्तर पर महिला मंडल, पंचायत, निगरानी समिति, लोक अधिकार मित्र व सक्रिय नागरिकों द्वारा अन्न सुरक्षा के

अन्न सुरक्षा क्षेत्र की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां और उनका समाधान

योजना	नियम	क्रियान्वयन में कमियां	समाधान
मध्याह्न भोजन	• मेनू के अनुसार भोजन बनाना • रसोइये के रूप में दलित समुदाय की बहन या विधवा बहन को प्राथमिकता देना • सभी बालकों को एक साथ बिठाकर भोजन परोसना • भोजन की गुणवत्ता बनाये रखना	• मेनू के अनुसार भोजन नहीं बनता • गांव में दलित व विधवा बहनों के होते हुए रसोइये के रूप में अन्य जाति के लोगों की नियुक्ति की गई • मध्याह्न भोजन लेने वाले बालकों की अधिक संख्या दर्शाई जाती है • भोजन की गुणवत्ता बनी नहीं रहती • शाला में भोजन के समय दलित बालकों के साथ भेदभाव रखा जाता है • मध्याह्न भोजन के अंतर्गत सूचना अधिकार नियम के अधीन सार्वजनिक सूचना नहीं रखी जाती	• स्थानीय स्तर पर वी.ई.सी. को सक्रिय करना ताकि मध्याह्न भोजन योजना पर नियमित देखरेख रहे और बालकों का गुणवत्तायुक्त भोजन मिलता रहे • रसोइये के रूप में दलित की नियुक्ति करना ताकि जाति भेद कम किया जा सके • मध्याह्न भोजन का पंचायत द्वारा 'सामाजिक अन्वेषण' करना • सार्वजनिक सूचना देने के लिए दबाव डालना
लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था	• राशन की दुकान को छुट्टी के अलावा तमाम दिनों में खुला रखना • कार्डधारियों को नियत अनाज नियत मूल्य पर देना • अनाज देने के बाद उसका बिल कार्डधारकों को देना • सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना रखना तथा लोगों के मांगने पर रजिस्टर भी बताना	• दुकान में जब माल आता है तभी 2-3 दिन दुकान खुली रहती है, बाकी समय बंद रहती है • कार्डधारकों को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिलता, साथ ही गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती • बिल नहीं दिया जाता • सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती, इसी भांति उनके रजिस्टर भी गांव के लोगों की मांग पर नहीं दिये जाते • कई जगहों पर तो दुकान के बाहर बोर्ड भी भरा हुआ नहीं होता • एपीएल कार्ड वालों को अनाज नहीं दिया जाता	• सार्वजनिक सूचना देने पर दबाव डालना • ग्राम स्तर पर निगरानी समिति को सक्रिय करना ताकि वितरण व्यवस्था को लेकर कोई प्रश्न खड़ा हो तो समाधान किया जा सके तथा पारदर्शिता अपनाई जा सके
आईसीडीएस	• कम से कम चार घंटे आंगनवाड़ी को खुला रखना • प्रति बालक 80 ग्राम नाश्ता देना साथ ही कुपोषित बालक को 160 ग्राम नाश्ता देना होगा • आंगनवाड़ी में धात्री माता, कुपोषित किशोरियों और	• आंगनवाड़ी में बालकों की संख्या कम होती है और रजिस्टर में ज्यादा दर्ज होती है। • शाला-पूर्व की इतर प्रवृत्तियां नहीं कराई जातीं • आंगनवाड़ी में धात्रीमाता, कुपोषित किशोरियों सगर्भा माता को गरम नाश्ता	• सार्वजनिक सूचना देने पर दबाव डालना • पंचायतों व ग्राम के सक्रिय नागरिकों द्वारा आंगनवाड़ी की देखरेख रखना • यह सुनिश्चित करना कि तहसील स्तर पर यथासमय पूरक पोषण का वितरण हो • ग्राम सभा में योजना का सामाजिक अन्वेषण कराना

योजना	नियम	क्रियान्वयन में कमियां	समाधान
	और सगर्भा माता को गरम नाश्ता देना होगा • प्राथमिक शाला पूर्व का शिक्षण देना • सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना सार्वजनिक रखना और लोगों के मांगने पर रजिस्टर भी बताना	नहीं दिया जाता • कक्षा 3-4 के बालकों की संख्या कम दर्ज होती है • अधिकार आंगनवाड़ी में अनाज यथासमय नहीं पहुंचता • सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती, साथ ही उनके रजिस्टर भी गांव के लोगों द्वारा मांगे जाने पर नहीं दिये जाते	
जननी सुरक्षा योजना	• गरीब व बीपीएल सूची में दर्ज प्रत्येक सगर्भा बहन को सगर्भावस्था के 6 से 9 माह की अवधि में 500 रु. नकद सहायता देना। उसमें बालकों की संख्या पर एतराज नहीं करना • अनुसूचित जनजाति की तमाम सगर्भा महिलाओं को लाभ देना • यदि संस्थागत प्रसूति कराई जाती है तो वाहन खर्च के लिए 200 रु. अलग से देना	• सगर्भा स्त्री का पंजीकरण नहीं होता • जिन महिलाओं के योजना के अंतर्गत फार्म भरे होते हैं उनको प्रसूति पूर्व आर्थिक सहायता नहीं मिलती, वरन प्रसूति के 1 से 6 माह बाद मिलती है	• ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को इस मामले में सक्रिय करना • ग्राम सभा में योजना का सामाजिक अन्वेषण कराना
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	• बीपीएल परिवार में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धों को 400 रु. मासिक पेंशन देना	• बीपीएल की सूची में जरूरतमंद लोग छूट जाने से अधिकांश लोगों को लाभ नहीं मिलता • जिन लोगों को लाभ मिलता है, उनको 6 से 12 माह पैसा मिलता है। • अधिकांश लोगों में सूचना का अभाव देखने को मिलता है।	• ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची तैयार कराना • वृद्धों को समय पर पेंशन मिलती रह, यह सुनिश्चित करना • ग्राम पंचायत में लाभार्थी की सूची को सार्वजनिक करना • योजना के प्रचार के लिए सार्वजनिक रूप से विज्ञापित करना।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	• बीपीएल परिवार के मुख्य कमाने वाले आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो परिवार को एक माह के अंदर 10,000 रु. सहायता प्रदान करना	• अधिकांश लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं होती, इस वजह से उपयुक्त लाभार्थियों तक योजना नहीं पहुंचती • जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, उनको छः महीने बाद ही मिलता है।	• योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत को जिम्मेदार बनाना • योजना के प्रचार के लिए सार्वजनिक स्तर पर विज्ञापन करना

योजना	नियम	क्रियान्वयन में कमियां	समाधान
अंत्योदय योजना	• अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज देना • विधवा, एकाकी, परित्यक्तता, विकलांग, दीर्घकालिक बीमारों व अशक्तजनों को अंत्योदय कार्ड देना • जो कार्डधारी अनाज के पैसे न चुका सके, तो उसे मुफ्त में अनाज देना और यदि वह चाहे तो उसे किश्तों में अनाज देना	• अंत्योदय कार्ड धारकों को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिलता • गुजरात राज्य में अनाज के बदले आटा दिया जाता है, जो खराब गुणवत्ता का होने से लोग उसे खाने में उपयोग में नहीं लेते • उपयुक्त लाभार्थी की पहचान नहीं की जाती • बीपीएल कार्डधारी को ही अंत्योदय कार्ड दिया जाता है • लक्ष्यांक आधारित कार्ड दिया जाता है • ग्राम सभा में जिन लोगों पर निर्णय हुए हों, उन पर कोई प्रक्रिया नहीं होती।	• ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची तैयार कराना और उनको अधिकार देना • निगरानी समिति द्वारा लाभार्थी को पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना • अनाज की गुणवत्ता सुधारना, साथ ही योजना में पारदर्शिता लाना
अन्नपूर्णा योजना	• 60 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़े लोगों को प्रति माह 10 किलो अनाज मुफ्त देना	• अधिकांश लोग योजना के जानकार नहीं होते, अतः वे लाभ नहीं ले सकते • ग्राम सभा के निर्णयों को माना नहीं जाता।	• ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची तैयार कराना और उनको अधिकार देना • निगरानी समिति द्वारा लाभार्थी को पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलता रहना सुनिश्चित करना।

अंतर्गत योजनाओं के अमल पर देखरेख।

लोक अधिकार केन्द्र द्वारा पंचायतों के साथ रहते हुए ग्राम सभा में गरीब व वंचित समुदाय के लोगों का बीपीएल व अंत्योदय योजना में समावेश करने के प्रस्ताव किये गए। इन प्रस्तावों के बाद प्रत्येक परिवार की व्यक्तिगत अर्जियां दी गई। तहसील स्तर पर तहसीलदार और जिला स्तर पर कलेक्टर को ये अर्जियां दी गई। २००८ में पांच तहसीलों को कुल ४६० अर्जियां दी गई। लेकिन अर्जियों पर सरकारी तंत्र द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः सूचना अधिकार अधिनियम २००५ का उपयोग करके अर्जियां की गई। अर्जियों का जवाब आया कि वर्ष का लक्ष्यांक पूर्ण हो चुका है, अतः नये वर्ष में इन अर्जियों पर कार्यवाही की जाएगी। इसी समयावधि में गुजरात हाईकोर्ट में अन्न सुरक्षा के मुद्दे पर अर्जी की गई और उसमें लोगों ने ये अर्जियां कोर्ट में पेश की। कोर्ट द्वारा सरकार को आदेश दिया गया कि इन लोगों को अंत्योदय कार्ड दिये जाएं। आदेश के परिणाम स्वरूप अर्जी देने वाले के स्थान को छानबीन शुरू हुई और ६८ लोगों को अंत्योदय कार्ड दिये गये। सरकार द्वारा बताया गया कि अन्य मामलों में छानबीन जारी है।

शीहोर तहसील में करकोलीय और वणावड़ गांव में महिला सरपंचों द्वारा प्राथमिक शाला का अवलोकन किया गया। तहकीकात करने पर पता चला कि मध्याह्न भोजन शाला बंद थी। अतः लोक अधिकार केन्द्र का सहारा लेकर पंचायतों द्वारा इन गांवों में मध्याह्न भोजन शुरू करने हेतु अर्जी दी गई। दूसरे महीने से इन गांवों में मध्याह्न भोजन शुरू कर दिया गया। शीहोर तहसील में ही सस्ते अनाज के दुकानदारों के पास महीने के दौरान अनाज का कितना स्टॉक आया और कितनी मात्रा में वितरण हुआ, इस संबंध में सूचना मांगे जाने पर ७ दुकानदारों द्वारा कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। इस पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ लंबी चर्चा की गई और उनको समझाया गया कि कानून के मुताबिक जब कोई भी नागरिक सूचना मांगे तो देनी पड़ती है। तब दुकानदारों

ने तमाम सूचनाएं दी। लोक अधिकार केन्द्र द्वारा जब प्रशिक्षण आयोजित किया गया तब सस्ते अनाज की दुकान के दुकानदारों के मंडल के अध्यक्ष को उपस्थित रखा गया। इस प्रशिक्षण में लोगों ने अपने गांव के प्रश्न प्रस्तुत किये। दुकानदार मंडल के अध्यक्ष द्वारा जिन गांवों से शिकायतें आई थीं उन गांवों को सेवा में सुधार करने की गारंटी ली। आज उन गांवों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है।

२७.८.०९ को सर्वोच्च न्यायालय में चलने वाले अन्न सुरक्षा केस में हुए आदेश के अंतर्गत गठित वाधवा समिति ने राजकोट का मुआयना किया। उस समय एक जन-सुनवाई का आयोजन भी सरकार द्वारा किया गया था। इस जन सुनवाइ से पहले ग्राम स्तर पर पंचायतों ने गांव के नागरिकों और वंचित समुदायों के साथ बैठक की। उनको अन्न सुरक्षा में आने वाले सवाल प्रस्तुत करने को तैयार किया गया। लोगों द्वारा उस समय जन सुनवाई में उनके प्रश्न प्रस्तुत किये गए। उनमें से कुछ मुद्दे निम्नानुसार हैं;

- अंत्योदय कार्ड में मिलने वाले आटे की खराब गुणवत्ता के संबंध में (जसदण तहसील की एक बहन ने अंत्योदय कार्ड में मिलने वाले धनेरा वाले आटे की थैली के साथ आटे की खराब गुणवत्ता के विषय में शिकायत की) जन सुनवाई के बाद जांच करने पर जानने को मिला का अधिकांश दुकानों से खराब गुणवत्ता वाला आटा वापिस लेकर अच्छा गुणवत्ता वाला आटा दिया गया।
- अंत्योदय कार्ड धारकों को कार्ड देने में होने वाले विलंब और लक्ष्यांक आधारित कार्ड का वितरण। राजकोट रसद कलेक्टर ने अंत्योदय कार्ड हेतु अर्जियां देने की जानकारी दी।
- सस्ते अनाज की दुकान की अनियमितता तथा सामान देने में अनियमितता के बारे में।
- ग्राम स्तर पर निगरानी समिति की निष्क्रियता बाबत।
- बीपीएल कार्ड देने के बारे में।
- चुनावों के समय में राशनकार्ड की प्रक्रिया बंद करने के बारे में।
- सार्वजनिक सूचना न रखने के बारे में (काटोडिया गांव की महिला सरपंच द्वारा डीलरों के द्वारा होने वाले दबाव के बारे में शिकायत की गई) जानने को मिला कि तहसीलदार तथा कलेक्टर द्वारा दुकानदारों के साथ बैठक की गई और सूचित किया कि कोई भी नागरिक सूचना मांगे तो उसे दी जाए।
- मध्याह्न भोजन में मिलने वाली खुराक की गुणवत्ता के बारे में।
- प्रत्येक योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है।

लोक अधिकार केन्द्र के कार्य विस्तार के १०० गांवों में स्थानीय स्तर पर महिला मंडल, पंचायतें, निगरानी समिति, लोक अधिकार मित्र तथा सक्रिय नागरिकों द्वारा अन्न सुरक्षा के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन पर देखरेख रखी जाती है। स्थानीय देखरेख से गांवों में योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तम रूप से हो रहा है। मालिया और जसदण तहसील के १० गांवों में अन्न सुरक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के दौरान अन्न सुरक्षा की आठ योजनाओं के क्रियान्वयन स्तर को जांचा गया। सर्वेक्षण में अनुभव यह रहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन तथा योग्य व्यक्ति तक योजना की पहुंच में बहुत अंतर देखने में आया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना मालिया तहसील के सर्वे के ५ गांवों में सिर्फ ३ लाभार्थी सरकार में रजिस्टर में देखने को मिले, जबकि सर्वे के दौरान ७० प्र.श. लाभार्थी लाभ से वंचित देखने में आये। जननी सुरक्षा के अंतर्गत लाभार्थी महिला को उसकी प्रसूति के बाद ही लाभ मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इन मुद्दों के बारे में ग्राम स्तर पर ग्राम आरोग्य तथा स्वच्छता समिति के साथ रहते हुए समाधान लाने हेतु प्रयत्न हो रहा है। सर्वे के दौरान सस्ते अनाज के दुकानदारों से उनके रजिस्टर देखने को मिले, उनमें से संबंधित माह में कार्डधारी को कितना अनाज मिला, यह बताने के संबंध में चर्चा करते उन्होंने सूचना न देने की बात कही। अतः इस मामले में तहसीलदार के साथ चर्चा की गई। यह भी कहा गया कि यह सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ४-१-ख के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना होती है, उसके बाद तहसीलदार के कहने पर यह जानकारी मिल सकी।

उन्नति

अन्न सुरक्षा के मुद्दे पर 'उन्नति' द्वारा कच्छ जिले में नेर, बंधड़ी, कबराऊ, मोरगर और बनियारी नामक पांच पंचायतों के ८ गांवों में काम किया गया है। इन गांवों के संदर्भ में अन्न सुरक्षा हेतु विविध

शेष पृष्ठ 36 पर

गतिविधियाँ

११वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि लोक समीक्षा

२००७-१२ की ११वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन कि आधारभूत समीक्षा करने हेतु अहमदाबाद में 'दिशा' द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया था कि योजना संबंधी खर्च उचित रूप से हो रहा है या नहीं, और उसे किस दिशा में मोड़ा जाना चाहिए।

'गणतर' के श्री सुखदेव पटेल ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार बना दिया गया है और उससे संबंधित कानून भी तैयार किया जा चुका है। परंतु १४ वर्ष तक का शिक्षण कैसे होगा? यदि बालक ५ वर्ष की आयु में शाला में दाखिल होगा तो १४ वर्ष में प्राथमिक शिक्षण कैसे पूरा कर सकेगा? ११वीं योजना में शिक्षा के लिए जो खर्च तय किया गया है, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। शिक्षण के लिए जो कुल खर्च अनुमानित है, उसका ५५ प्र.श. खर्च 'सर्व शिक्षा अभियान' में अनुमानित है। वास्तव में यह अभियान गरीब बालकों के लिए हल्की गुणवत्ता वाली व्यवस्था है।

गुजरात विधानसभा के विपक्ष के नेता श्री शक्तिसिंह गोहिल ने बताया कि योजना आयोग द्वारा जो पैसा दिया जाता है, उसमें से कितना पैसा राज्य सरकार किस तरह उपयोग में लाती है, यह महत्त्वपूर्ण है। गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन बोरीबंध बनवाये गए और उनमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं हैं। ऐसे तमाम मामलों में योजना आयोग को ध्यान देना चाहिए। पैसा उन्हीं इलाकों में खर्च हो रहा है, जो पहले से विकसित हैं। वास्तव में तो निवेश वहां किया जाना चाहिए, जहां विकास नहीं हुआ हो। विकास संतुलित होना चाहिए।

'वादा न तोड़ो अभियान' के श्री अमिताभ बहल ने बताया कि योजनाएं बनाने का काम अर्थशास्त्री ही करते रहे हैं, उसमें समाज शास्त्रियों और कार्यकर्ताओं आदि को शामिल नहीं किया जाता। हालांकि, जब ११वीं पंचवर्षीय योजना बन रही थी, तब गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श किया गया था। ११वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्यांक हैं, उन्हें किस तरह चरितार्थ किया जा सकता है और मात्र आंकड़ों की दृष्टि से ही नहीं, वरन् जो वास्तविक स्थिति है, उसकी समीक्षा की जाए।

आई.आई.एम. अहमदाबाद के प्रो. दिलीप मावलंकर ने बताया था कि योजना आयोग ही लक्ष्यांक तय करता है। मातृत्व मृत्यु दर तय करने हेतु कोई पद्धति है भी नहीं। मलेरिया या टी.बी. से मृत्यु हो तो उसकी गणना हेतु पद्धति ही नहीं है और लक्ष्यांक तय कर दिये जाते हैं। योजना आयोग में स्वास्थ्य विशेषज्ञ सिर्फ एक है, ये कम से कम दस होने चाहिए। जो लक्ष्यांक तय किये जाते हैं, वे किसलिए तय किये जाते हैं, इनके कारण नहीं दिये जाते। पहली योजना से अब तक परिवार नियोजन के या स्वास्थ्य के कोई लक्ष्यांक प्राप्त नहीं हुए। योजना आयोग ने २००१ और २००८ में स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में दो ही अध्ययन किये हैं।

श्री इन्दुकुमार जानी ने बताया था कि आयोजन आंशिक और पक्षपाती होता है। आयोजन करने में लोगों को और लोक संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्पोरेट खेती के मामले में सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। समग्र देश में जमीन के उपयोग सम्बंधी नीति बननी चाहिए।

५००० महिलाओं ने मनाया विश्व महिला दिवस

८ मार्च को सम्पूर्ण विश्व महिला दिवस के रूप में मनाकर महिलाओं के प्रति प्रेम, लगाव और सम्मान की भावना व्यक्त की जाती है। ८ मार्च २०१० का दिन अहमदाबाद के लिए अविस्मरणीय बना रहेगा। गुजरात के अलग-अलग जिलों, तहसीलों, गांवों और शहरों की लगभग ५००० से अधिक बहनों ने अहमदाबाद के एक मंच पर इकट्ठे होकर विश्व महिला दिवस को गरिमापूर्ण रीति से मनाया। प्रति वर्ष गुजरात की अलग-अलग स्वैच्छिक संस्थाएं,

सामुदायिक संगठन अपने-अपने ढंग से महिला दिवस मनाते थे। परंतु इस वर्ष राज्य के अलग-अलग गांवों, तहसीलों, शहरों और जिलों की महिलाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों ने एक साथ मंच पर एकत्रित होकर महिला दिवस आयोजित करना तय किया था और इस विचार को महिला अधिकार अभियान के नाम से मूर्त रूप प्रदान किया।

महिला अधिकार अभियान के नेतृत्व में समग्र गुजरात से ५००० बहनें अहमदाबाद में सुभाष ब्रिज-अंबेड़कर भवन में इकट्ठी हुईं थीं। उपस्थित बहनों ने अपनी मांगों और अधिकारों विषयक नारों से वातावरण को गुंजा दिया था। अलग-अलग जिलों से आईं बहनें अपने जिले के अलावा विविध मुद्दों पर कार्यरत संस्थाओं और अपने से सम्बंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व करती थीं। एक साथ ५००० बहनों ने अंबेडकर भवन से अपनी विविध मांगें और अधिकार दर्शाते प्लेकाड्र्स के साथ अभय घाट तक नारे लगाते हुए रैली निकाली थी। १२ वर्ष से लेकर ८२ वर्ष आयु तक की महिलाएं इस रैली में जुड़ी थीं। प्लेकार्ड और नारों के साथ निकली यह रैली अभयघाट के पास वाले मैदान में एक सभा में परिवर्तित हो गई। अभयघाट के मैदान में भी महिलाओं ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ नारे लगाये, गीत, और महिला दिवस के आयोजन को लेकर अपनी रीति से आनंद व्यक्त किया।

८ मार्च का विश्व महिला दिवस सिर्फ उत्सव का अवसर बनकर रह जाए अपितु महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों और आवाज को विशाल उद्योग गृहों की चाकर बनकर बैठी सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए शहर से लेकर गांव, प्रत्येक जाति, धर्म और वर्ग की बहनों की समस्याओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने वाला काला-पत्र महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वयं जाकर सरकार तक पहुंचाया था। ब्लैक डिमांड पेपर पर महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, भूमि एवं सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार, एकाकी नारी की समस्याओं और मांगों, पंचायत में चुनकर आई महिलाओं की समस्याओं, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की समस्याओं, स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा जैसे तमाम मुद्दों को प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा एक साथ एक मंच पर उपस्थित महिलाओं को उनकी समस्याओं और मांगों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। यह समग्र कार्यक्रम किसी संस्था विशेष या संगठन का न रहकर गुजरात की समस्त बहनों का अपना कार्यक्रम बन गया था।

महिला अधिकार अभियान के मंच पर एकत्रित सभी बहनें अपनी मांगों के संदर्भ में सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी भावी कार्यनीति निर्मित करेंगी। महिला अधिकार अभियान के मंच पर एकत्रित ५००० से अधिक महिलाओं और उनकी प्रस्तुति तथा प्रतिबद्धता को देखते हुए ऐसी आशा जगी है कि गुजरात में महिला आंदोलन फिर से वेगवान बनेगा।

लोक आवास यात्रा

बेजिन साउथ एशिया नेटवर्क तथा 'उन्नति' और 'सेवा' संस्था के संयुक्त प्रयास से १७ से २१ जनवरी २०१० के दौरान पश्चिम भारत के चयनित क्षेत्र में लोक आवास यात्रा का आयोजन किया गया था। लोक आवास यात्रा का उद्देश्य आवास निर्माण की स्थिति को उसके विशेष दृष्टिकोण से समझना था। उसमें (१) आवास निर्माण

क्षेत्र में उपयोग में ली जाने वाली चिनाई सामग्री किस मात्रा तक कम कार्बन उत्पन्न करती है। (२) आवास तथा वासस्थान के लिए शुद्ध पानी और स्वच्छता बरतने के प्रभावी उपाय (३) भूकंप या तूफान जैसी आपदाओं के सामने टिकने वाली चिनाई पद्धति का उपयोग/अमल। (४) विशेष रूप से इंदिरा आवास और सरदार आवास जैसी सामाजिक आवास योजनाओं में होने वाले नमूना रूप काम। (५) भवन निर्माण कार्य में स्थानीय कारीगरों की भूमिका और उनकी क्षमता में वृद्धि। (६) आवास निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न होने जैसी बातों का समावेश होता है।

यात्रियों ने राजस्थान, कच्छ तथा सौराष्ट्र के चयनित अंचलों का प्रवास किया था। तीनों यात्राओं में मिलकर लगभग १०० लोक प्रतिनिधि पांच दिनों के लिए जुड़े थे। उनमें चिनाई करने वाले कारीगर, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बचत-समूह का नेतृत्व करने वाली महिलाएं मुख्य थीं। इस दौरान उन्होंने अपने पसंद किये गये गांवों तथा योजनाओं से संपर्क किया था तथा लोगों से प्रत्यक्ष संवाद करके प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की थी। सभी यात्री साथ मिलकर संबंधित योजना/गांवों से सम्पर्क द्वारा स्वयं जो भी सीखे, उसे दर्ज करके रखते थे और इस सीख का अमल अपने कार्यक्षेत्र में जिस तरह करेंगे, उसकी समझ भी विकसित करते रहते थे। इस प्रकार कुल मिलाकर विविध मुद्दों के संबंध में यात्रियों की समझ विकसित करने में इस यात्रा ने एक अवसर प्रदान किया था।

पश्चिम क्षेत्र लोक आवास यात्रा के समापन तथा अनुभव के आदान-प्रदान हेतु सभी यात्री २१ जनवरी २०१० को अहमदाबाद की सेप्ट युनिवर्सिटी से इकट्ठे हुए थे। प्रथम सत्र में गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी विभाग के सचिव ए.एम. तिवारी उपस्थित रहे थे। यात्रियों द्वारा दी गई जानकारी की प्रशंसा की थी तथा विशेष रूप से आदिवासी अंचल के लिए राज्य सरकार द्वारा चलने वाले दस मुद्दों वाले कार्यक्रम की जानकारी दी थी तथा आदिवासी जनता के विकास के लिए आवास की भूमिका तथा आवास हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किये गए नीति-नियमों व देखरेख की पद्धति की गहन जानकारी प्रदान की थी तथा आदिवासी क्षेत्र की एक अलग यात्रा के बारे में सुझाव दिया था। उन्होंने एन.सी.पी.डी.पी. संस्था के अध्यक्ष और टेक्नोक्रेट राजेंद्र देसाई तथा सुरेखाबहन, सी.ई.ओ. - ए.के.पी.बी.एस. द्वारा चिनाई के क्षेत्र में ऊर्जा बचाने के विचार को किस तरह लागू किया जा सकता है और वह कितना सुसंगत है, इस बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की थी।

'सेवा' द्वारा प्रेरित 'सेवा निर्माण' की नीता बहन पटेल ने बताया कि भूकंप त्रासदी के बाद पुनर्वास हेतु सेवा की आवास निर्माण प्रक्रिया को गति देने के प्रयास किए गए। उस क्रियान्वयन के दौरान उभरे अनेक प्रश्नों और उनके निराकरण हेतु उन्होंन विस्तृत जानकारी प्रदान की। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की प्रतिनिधि अनघा महाजनी ने कारीगरों की चिनाई पद्धति के बारे में जानकारी दी।

'उन्नति' संस्था के निदेशक बिनोय आचार्य ने समग्र कार्यक्रम के संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी तथा आगे की जो दिशा हो सकती है इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे तथा इस बात पर बल दिया था कि यात्रियों के अनुभव और जानकारी का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा तैयार होने वाली ग्रामीण आवास नीति में परिवर्तन सुझाने में बहुत उपयोगी होगा। समग्र यात्रा में से ये निष्कर्ष सामने आए थे, कि

(१) परंपरागत चिनाई पद्धतियों में थोड़ा सुधार करके उसका क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है। ऐसी टेक्नोलोजी को पहचान मिले, तभी समुचित टेक्नोलोजी का विस्तार बढ़ सकता है।
(२) चिनाई के क्षेत्र में चिनाई की सामग्री का जिस रूप से उपयोग बढ़ रहा है उसमें ऊर्जा-बचत करने वाली चिनाई सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
(३) कारीगरों को इस मुद्दे में अधिक जानकार व शिक्षित बनाने के संबंध में प्रयत्न होने चाहिए।
(४) यह देखा जाना चाहिए कि इंदिरा आवास तथा सरदार आवास जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में कम ऊर्जा इस्तेमाल करने वाली चिनाई सामग्री प्रत्युक्त हो।

लोक आवास यात्रा लोगों की आंतरिक सूझ-समझ को बहार लाने

दलित साहित्यकार जोसेफ मेकवान का निधन

विख्यात दलित लेखक व कर्मशील जोसेफ मेकवान का २८.०३.२०१० को लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। वे ७५ वर्ष के थे। उनकी रचनाओं ने वंचितों की वेदना को वाणी दी थी, तथा गुजरात में दलितों के उत्थान हेतु बहुमूल्य योगदान दिया था। 'आँगलियात' और 'व्यथाना वीतक' कृतियों में उन्होंने गरीबी वंचितों के रेखाचित्र उकेरे थे और दलितों के प्रति जागरूकता की महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति के नाते उनकी प्रशंसा की गई। उनके 'आंगलियात' उपन्यास को १९८८ में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ था। यह वणकर समुदाय के बारे में गुजराती में एक दलित द्वारा लिखी हुई औपन्यासिक कृति थी जिस समुदाय ने अत्याचार से बचने के लिए ईसाई धर्म अंगीकार किया था। परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना है कि वह उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

में अत्यंत उपयोगी माध्यम सिद्ध हुई थी। इसने आवास निर्माण के विविध पहलुओं से समझने तथा विशेषज्ञों व जनता के बीच समान समझ विकसित करने का अवसर प्रदान किया।

टेक्नोलोजी पार्क पुरस्कार से नवाजा गया

प्राकृतिक व मानव-सर्जित आपदाओं यथा बाढ़, तूफान, भूकंप, सुनामी आदि के संभावित असरों को कम करने के आशय से सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और जन-समुदाय द्वारा प्रयत्न हाथ मे लिये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों को पहचान कर तथा कार्यपद्धति व सफलता को अधिक लोगों तक पहुंचाने के आशय से स्फियर इंडिया तथा एफिकोर द्वारा विशिष्ट प्रयास हाथ में लिया गया। इस विषय में अनुसंधान में हुए काम में से कुल लगभग ३३ पसंद किये गए प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया और उन्हें 'टर्निंग द टाइड-गुड प्रेक्टिस इन सीबीडीआरआर' के नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है।

कुल ३३ में से तीन प्रयास उल्लेखीय प्रयास के रूप में पसंद किये गये थे। उनमे पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट (देहरादून), सीड्स (दिल्ली) तथा उन्नति (गुजरात) समाविष्ट हैं। २१ फरवरी २०१० को प्रो. एन. विनोदचंद्र मेनन (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी) तथा श्री मुलापल्ली रामचन्द्रन, राज्य मंत्री (गृह) की विशिष्ट उपस्थिति में तीनों संस्थाओं को नई दिल्ली में पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कच्छ के पुनर्वास के लिए जो नया निर्माण कार्य हाथ में लिया गया उसमें लोगों ने ज्यादातर सुरक्षा के उपाय किये हैं, क्योंकि गृह निर्माण के लिए सरकार से मदद पाने की वही एक पूर्वशर्त थी। सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जो जागृति अभियान चलाया गया उसके परिणाम स्वरूप भूकंप से सुरक्षित निर्माण कार्य कैसे किया जाए, उसके बारे में बहुत सी बातें सीखने को मिली। वैसे सामुदायिक शिक्षण बहुत धीमी प्रक्रिया है और जागृति के बाद आचरण बदलने में समय लगता है। पुनर्निर्माण एक लंबी प्रक्रिया हैं और लोग स्वयं उससे सीधे जुड़े हुए हैं। अतः मात्र मजदूर के लिए ही नहीं वरन् युवकों, महिलाओं और समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए भी शिक्षण की प्रक्रिया सतत चालू रहने की आवश्यकता होती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित हो सके। सज्जता पार्क के निश्चित उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(१) नुकसान के कारणों व प्रकारों के विषय में तथा नुकसान घटाने की तकनीकी पद्धतियां के बारे में जागरूकता पैदा करना।
(२) निर्माण कार्य में उपयोगी हो सकने वाली सामग्री, टैक्नोलोजी और कौशल को प्रोत्साहन देना।
(३) निर्माण कार्य की विविध पद्धतियों का निदर्शन करना ताकि भूकंप और तूफान से सुरक्षा मिल सके और बरसात के पानी का संग्रह करने की व्यवस्था संभव हो सके।
(४) विपत्ति के सामने की तैयारी हेतु मुक्त संवाद को प्रोत्साहन देना।

समुदाय के सभी लोग सज्जता पार्क में जा सकते हैं और विपत्ति के खिलाफ सुरक्षा के बारे में सीख सकते हैं। सामान्य समय में शाला के विद्यार्थी महिलाओं के समूह, ग्रामीण समुदायों के नेता, युवक समूह और निर्माण कार्य के कारीगर आदि इस पार्क से शैक्षिक सम्पर्क करते रहते हैं और जानकारी का प्रत्यक्ष व परोक्ष उपयोग करते रहते हैं। इस टेक्नोलोजी पार्क से प्रेरणा लेकर

सुनामी पीड़ित क्षेत्र में भी एक स्वयंसेवी संस्था ने इस प्रकार का टेक्नोलोजी पार्क निर्मित किया है।

रुदाली पार्टीः आदिवासी मनोरंजन महोत्सव

गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी १६-१७ जनवरी २०१० को आदिवासियों का परंपरागत महोत्सव मनाया गया था। रुदाली पार्टी के नेता वरिसिंह मामा ने कहा था कि 'हमारे कार्यकाल में इतनी विशाल सभा नहीं देखी।'

रुदाली पार्टी आदिवासियों की परंपरागत मनोरंजन शैली वाली सभा है। वीरसिंह मामा की उम्र तीस वर्ष है। मानसिंह भाई ने कहा कि 'अनेक परंपरागत स्पर्धाओं में भाग लेने में हमें मजा आया। उन्होंने धनुष बाण के साथ स्पर्धा में भाग लिया था। कावजीभाई ने कहा कि 'हमारे कार्यकाल में इतनी विशाल सभा नहीं देखी।' कावजीभाई ने कहा कि 'हजारों लोगों के सामने ढोल बजाने में आनंद आया।' तापी जिला पंचायत के प्रमुख मावजीभाई ने कहा कि - सभी तरह के लोगों को सांस्कृतिक महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी के लिए साथ लाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।' पहले दिन दोपहर को यह महोत्सव शुरू हुआ था। महोत्सव में एक स्किट भी प्रस्तुत किया गया था कि जिसमें कौमों की स्थिति प्रस्तुत की गई। उसमें आदिवासियों की पहचान एकता और गौरव संबंधी प्रश्न खड़े किये गए। जो उचित अभियान हाथ में लिया गया था, उसका संदर्भ लेकर आदिवासियों ने अपनी मांगें प्रस्तुत की। चुने हुए प्रतिनिधियों से वे मांगें स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। इस महोत्सव का आयोजन आदिवासी महामंडल, आदिवासी सर्वांगी विकास संघ और शक्ति–लाहर्क द्वारा किया गया था। इसमें डांग, नर्मदा, नवसारी, सूरत और तापी जिलों से आदिवासी आये थे।

स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति के बारे में परामर्श सभा

सज्जता संघ, जन विकास, ईडीआई और उन्नति के सहयोग में 'वाणी' द्वारा १८.०१.२०१० को स्वैच्छिक क्षेत्र विषयक राष्ट्रीय नीति के विविध पक्षों को समझने हेतु तथा गुजरात राज्य स्तर पर उसी प्रकार की नीति के बारे में चर्चा करने के प्रयोजन से एक परामर्श सभा का आयोजन किया गया था। प्रत्यक्ष कर-संहिता का स्वैच्छिक क्षेत्रों पर जो असर पड़ सकता है, उस बारे में भी इस सभा में चर्चा की गई थी। गुजरात में से लगभग ४५ नागरिक समाज के संगठनों के ५७ प्रतिनिधि इस सभा में उपस्थित थे।

स्वैच्छिक क्षेत्र के विषय में अभी जो नीति बनाई गई थी, उसे ध्यान में रखकर राज्य स्तर की नीति का मसौदा किस तरह तैयार करना, उस पर शुरूआत में ध्यान केन्द्रित किया गया था। फिर उसमें मसौदा समिति का गठन किया गया। इस समिति में श्री बिनोय आचार्य, सुश्री नफीसा बारोट, श्री हनीफ लाकड़वाल और संयोजक के रूप में श्री राजेश कपूर को शामिल किया गया था।

ऐसा आयोजन किया गया है कि मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक मसौदा समिति राज्य स्तर की नीति का प्रथम मसौदा तैयार करे। यह मसौदा समग्र समूह के सभी सदस्यों को भेजा जाए और वे जो सुझाव दें, उन सुझावों के बारे में मुख्य समूह के साथ चर्चा-परिचर्चा हो, और मार्च के दूसरे सप्ताह में कतिपय अन्य हितैषियों के साथ परामर्श हो। अगस्त २००९ में वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कर संहिता के मसौदे के बारे में सभा में चर्चा की गई थी। यदि यह मसौदा पारित हो जाए तो स्वैच्छिक क्षेत्रों पर इसका जो प्रभाव हो सकता है उसके बारे में ब्यौरेवार चर्चा हुई। कर संहिता के अर्थ और उसके सीधे सूचितार्थों के विषय में विचारों का प्रस्तुतीकरण हुआ और नागरिक समाज के संगठनों द्वारा जिस प्रकार की तैयारी रखी जानी चाहिए उसकी जानकारी दी गई। तदुपरांत सहभागियों की खुली चर्चा आयोजित की गई और 'वाणी' के सीईओ श्री हर्ष जेटली द्वारा कई स्पष्टीकरण किये गए। गुजरात में नागिरक

समाज के संगठनों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि स्वैच्छिक क्षेत्र गुजरात में सक्रिय और जीवंत है। 'वाणी' की हाल की प्रवृत्तियों के बारे में भी उन्होंने सविस्तार बताया और अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे गुजरात में विविध क्षेत्रों में और अधिक सहभागी संगठनों के साथ काम करना चाहेंगे।

विकलांगता कानून के नियमों में सुधार

केन्द्र सरकार ने विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता) नियम-१९९६ में संशोधन किया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप अब परिस्थिति सुधर सकती है। इस देश में विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की बजाय पासपोर्ट प्राप्त करना ज्यादा आसान है। यह बहुत विचित्र बात है, लेकिन यही सच्चाई है। इसका कारण यह है कि पासपोर्ट देने का दायित्व केन्द्र सरकार का है, परंतु विकलांग व्यक्ति को उसका प्रमाणपत्र देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति रोजगार प्रोत्साहन केन्द्र के निदेशक जावेद आबीदी बताते हैं, 'भारत में विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक दु:स्वप्न है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो उसे प्राप्त करना लगभग असंभव है, जबकि छोटे नगरों और गांवों में जो दशा होती होगी, वह कल्पना से बाहर है।'

नये संशोधित नियम के अनुसार विकलांग व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड के बजाय संबंधित विकलांगता निष्णात डॉक्टर के समक्ष हाजिर होना होगा। सामान्यतया मेडिकल बोर्ड की बैठकों में डॉक्टर हाजिर नहीं रहते, अत: विकलांगता प्रमाणपत्र देने में बहुत विलंब होता था। अब अति-विकलांगता के मामले में विकलांगता प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टरों को भी दिया गया है। अन्य प्रकार की आंशिक विकलांगताओं के मामले में प्रमाणपत्र देने के लिए अब भी जिला स्तरीय अस्पतालों में ही जाना पड़ेगा। हालांकि अभी इन नियमों को राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। आबीदी ने बताया कि 'इन सुधारों का हम अभिनंदन करते हैं परंतु सभी प्रकार की विकलांगताओं हेतु प्रमाणपत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टरों से प्राप्त करने, इसके लिए इन डॉक्टरों को अधिकार दिलाने के लिए हम संघर्ष को जारी रखेंगे। इस वर्तमान व्यवस्था से भी अनेक लोग बाकी रह जाएंगे और इस दृष्टि से वे लाभों से वंचित रहेंगे।'

वास्तव में ११वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांगता का प्रमाणपत्र देने की जिम्मेदारी, पासपोर्ट की तरह केन्द्र सरकार पर डालने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यह योजना मंजूर भी की जा चुकी है। एक बार यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु अर्जी दी जाए, फिर उसका प्रमाणपत्र विकलांग व्यक्ति के घर पहुंचाया जाए, ऐसी व्यवस्था पासपोर्ट की तरह ही करनी चाहिए। अभी विकलांग व्यक्ति को प्रमाणपत्र लेने के लिए मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ता है। कई बार जिस ढंग से जांच-पड़ताल की जाती है, उसे लेकर महिलाओं ने भी एतराज उठाया था। वास्तव में प्रमाणपत्र पाने के लिए लगभग ५ से ६ महीने लगते हैं। नया नियम अगर अमल में आएगा तो उससे समय काफी कम जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने राज्य विकलांगता आयोग की ९वीं राष्ट्रीय सभा में इस संशोधन की घोषणा करते हुए कहा था कि राज्यों को इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए तमाम विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण तेजी से करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

कुछ राज्यों ने विकलांग व्यक्तियों को प्रमाणपत्र देने के मामले में अच्छी प्रगति की है। आंध्र प्रदेश में तमाम विकलांग व्यक्तियों को प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं। जबकि झारखंड में ९७.८ प्रतिशत, चंडीगढ़ में ५७.५ प्रतिशत, अंडमान-निकोबार में ५६.५ प्रतिशत, पंजाब में ५३.८ प्रतिशत और कर्नाटक में ५२.९ प्रतिशत विकलांगों को प्रमाणपत्र दिये जा चुके है।

विकलांग व्यक्तियों हेतु हैंडिकेप इंटरनेशनल की हिमायत

हैंडिकेप इंटरनेशनल द्वारा २००६ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समन्वय में हिमायत को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। संस्था तथा अन्य हितैषियों के सहयोग से गुजरात में डिसेबिलिटी एडवोकेसी ग्रुप (डी.ए.जी.) का गठन किया गया है। इन कार्यशालाओं में हिमायत का अर्थ पुन: व्याख्यायित

किया है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के अधिकारों की भांति ही विकलांग व्यक्तियों को भी इन अधिकारों का लाभ दिलाने वाली व्यवस्थाओं हेतु मांगों के अवसर के बतौर हिमायत के विचार को आगे बढ़ाया गया है।

जनवरी-फरवरी २०१० के मध्य अमरेली, जूनागढ, जामनगर और पोरबंदर में इस संबंध में सभाओं का आयोजन किया गया था। जिला स्तरीय बैठक से पूर्व विकलांगता के साथ संबंधित कतिपय मुद्दों की पहचान की गई थी। इसके लिए विविध हितैषियों के साथ अलग से बैठकें आयोजित की गई थी।

इन बैठकों के मुद्दों के बारे में बाद में स्वास्थ्य विभाग, समाज सुरक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग और डीआरडीए के साथ चर्चा की गई थी। इन बैठकों में सरकारी अधिकारी, विकलांग व्यक्ति, विकलांगों के संगठन व डीआरडीए के सदस्य, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा पुनर्वास संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे थे। स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों के साथ विकलांगों की समस्याएं निबटाने हेतु इन बैठकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। जिला स्तरीय बैठकों में २०९ व्यक्तियों ने भाग लिया था।
इन बैठकों के उद्देश्य निम्नानुसार थे:

(१) अलग-अलग परियोजनाओं के प्रभाव का विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में मूल्यांकन करना।
(२) विकलांगता से संबंधित तमाम मुद्दे उठाना और संबंधित सरकारी अधिकारियों व अन्य हितैषियों की मध्यस्थता द्वारा उनका समाधान करना।
(३) अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु संबंध स्थापित करने के लिए व अलग-अलग प्रयासों को संगठित करने हेतु काम करना।

जिला स्तरीय बैठकों में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं:

(१) अमरेली में अस्पताल स्तर की एक समिति गठित करने हेतु एक बैठक आमंत्रित करना ताकि फिजियोथेरेपी विभाग काम करने लगे।
(२) मानसिक बीमारियों और बौद्धिक अक्षमता का प्रमाणपत्र जूनागढ़ में नियमित रूप से दिया जाए, ऐसी व्यस्था करना।
(३) ठकरार अस्पताल या जामनगर से मनोचिकिस्तक की भर्ती करने हेतु मसौदा स्वरूप पत्र तैयार करने के लिऐ सीडीएमओ तैयार हुए।
(४) ग्रामीण इलाकों में आयोजित मेडिकल शिविरों के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, गैर-सरकारी संगठनों, पुनर्वास संगठनों तथा समाज सुरक्षा कार्यालय सहित सबके मध्य सतत समन्वय स्थापित करना।

राज्य स्तरीय परामर्श सभा में हुए चर्चा के बाद लिये गये कतिपय निर्णय निम्नानुसार हैं: (१) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मध्य समान प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए एक समन्वय बैठक आमंत्रित करना। (२) गुजरात की स्वास्थ्य नीति में विकलांगता के प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग करेगा। (३) मेडिकल शिविरों में मोबाइल ओडियोमेट्री वान (साउण्ड ट्रीटमेंट के साथ) शुरू करना। (४) मानसिक बीमारियों से संबंधित आपात स्थिति में १०८ की सेवाएं उपलब्ध कराना। (५) रोगी कल्याण समितियों को आवंटित धन का खर्च विकलांगता से संबंधित प्रवृत्तियों हेतु भी करना। (६) जिला स्तर पर विकलांगता के संबंध में नेत्र चिकित्सक नोडल आफिस के रूप में काम कर सकता है।

संपर्क: हैंडिकेप इंटरनेशनल, १५, अजंटा पार्क, सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने, मेमनगर, अहमदाबाद-३८००५२, फोन ०७९-६५४२५६४६, ईमेल apatel@hi-india.org

संदर्भ सामग्री

नागरिक आगेवानः जे पीड़ पराई जाणे रे....

लोकतंत्र में नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर सक्रिय भूमिका अदा करें। अनवरत कड़ी निगरानी को लोकतंत्र का मूल्य कहा जाता है। चुने हुए प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाने के लिए ऐसी सतर्कता जरूरी है। तभी लोकतंत्र सहभागी बन सकता है। स्थानीय स्तर के छोटे नेता स्थानीय विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसी बात का विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। इसमें विविध लेखकों ने यह बताया है कि कुल २८ व्यक्तियों ने किस तरह ग्राम विकास और शहरी विकास में विविध मुद्दों के साथ काम सम्पन्न किया। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी के द्वारा सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफलता अर्जित की, उस सफलता को दस्तावेजी

स्वरूप देने का संस्था ने प्रयास किया और उसके परिणामस्वरूप यह पुस्तक सामने आई। यहां प्रस्तुत हर बात प्रेरणादायी है। यह दर्शाती है कि सामान्य लोग भी यदि वास्तविकता का अनुभव करें और परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ रहें तो परिवर्तन ला पाना संभव है।

'उन्नति' द्वारा साबरकांठा और अहमदाबाद जिले की कई तहसीलों में स्थानीय स्तर के नेताओं को प्रशिक्षित करके उनके निजी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। स्वविकास में जन्मा हुआ आत्म विकास अंततः ग्राम विकास में परिणत हुआ। उसके कुछेक उदाहरण यहां दिये जा रहे हैं।

इन नागरिकों ने विकास कार्यों के साथ-साथ समाज सुधार के काम भी किये। मृत्यु के बाद १२ दिन तक चलने वाले भोज को बंद कराना, गोद भराई के समय कर्ज लेकर किये जाने वाले खर्च को बंद कराना, शराब की बुराई को दूर कराना, पशुबलि चढ़ाने की कुरीति को बंद कराना, व्यसन मुक्ति का काम करना, सवर्ण जाति वालों द्वारा दलितों की परेशानी बंद कराना इत्यादि सामाजिक सुधारात्मक प्रवृत्तियां इन नागरिक नेताओं ने अपने हाथ में ली। इन उदाहरणों में बात भले ही विकास की हो, पर वह विकास वैयक्तिक नहीं बना रहता, अंततोगत्वा वह समाज विकास और ग्राम विकास में परिणत होता है। पुस्तक के आमुख में श्री इन्दुकुमार जानी लिखते हैंः जो व्यक्ति संघर्ष में से तप कर, गढ़ कर सार्वजनिक कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, उनमें जबर्दस्त आत्मविश्वास और हिम्मत देखने को मिलती है। फिर उनके द्वारा जो रचनात्मक काम हाथ में लिये जाते हैं उनमें अचूक सफलता मिलती है। संघर्ष और रचना के दो पहियों वाला यह वाहन अनेक शिखरों को फतह करता है।

'उन्नति' की पंचायत विकास समितियों द्वारा नागरिक संगठनों को तैयार करने का प्रयास किया गया तथा ग्राम सभाओं को सचेतन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ही नागरिक नेता तैयार हुए। उनके द्वारा किये गये कार्यों को यह पुस्तक अत्यंत सरलता से प्रस्तुत करती है।

प्राप्ति स्थानः 'उन्नति'

स्त्री समानता और मताअधिकारः विश्व में नारी आंदोलनः भाग-२

और

सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियाँः भाग-३

इस पुस्तक में नारी आंदोलन का इतिहास और वर्तमान चुनौतियों का आलेखन है। यह पुस्तक 'उन्नति' और 'सहियर' का साझा प्रयास है। भारत में नारी आंदोलन के इतिहास का आंलेखन स्त्री-अध्ययन में महत्त्वपूर्ण अंश के रूप में हुआ है। इसके साथ, नारी समूहों के विविध मुद्दों पर संघर्ष और कई तरह की में प्रतिक्रिया

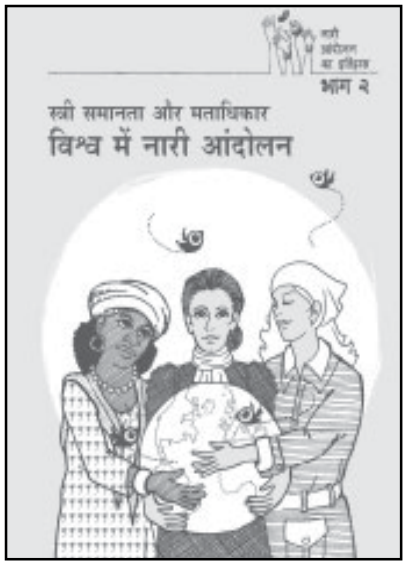

के आलेखन भी उपलब्ध हैं। परंतु इस पुस्तक की एक खास उपयोगिता है। इसमें संवाद रूप में नारी आंदोलन के इतिहास एवं चुनौतियों के संबंध में जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है।

यह पुस्तिका मुख्य रूप से बुनियादी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की स्त्री-पुरुष भेदभाव, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, स्त्रियों के निम्नस्तर स्थान के ऐतिहासिक मूल तथा महत्त्वपूर्ण विकास हेतु सशक्तिकरण की जरूरत से संबंधित अवधारणा के बारे में समझ बढाने के आशय से तैयार की गई है। इस पुस्तिका में महिला मंडल की चर्चा में भाग लेने वाले सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी प्रसंग में ऐतिहासिक या वर्तमान में घटित घटना के साथ उनके अनुभवों को जोड़ा गया हो तो मात्र मुद्दों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के आशय से ही जोड़ा गया है।

नारी आंदोलन का यह इतिहास चार भागों में तैयार किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक इस श्रेणी का दूसरा भाग है। यह समग्र श्रेणी नारी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंतरराष्ट्रीय फलक, वर्तमान आंदोलन के क्षेत्र में मुद्दों और चुनौतियों को समझने हेतु कार्यकर्ताओं व अध्येताओं के लिए उपयोगी है। इस श्रेणी में सरल भाषा, लोकगीतों, व्यक्तिचित्रों आदि का उपयोग बुनियादी कार्यकर्ताओं को बहनों को आंदोलन की आवश्यकता समझाने में उपयोगी हो सकता है।

नारी आंदोलन का इतिहासः भाग-२ के रूप में प्रकाशित इस पुस्तक में समाज परिवर्तन में स्त्रियां और स्त्रियों के अधिकार, सामंतशाही व्यवस्था, पूंजीवाद का विकास इत्यादि विषयों को लेकर महिला मजदूरों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष की गाथा गाई गई हैं। तदुपरांत इंग्लैंड में मताधिकार हेतु महिलाओं के संघर्ष, फ्रांस

की क्रांति और नव प्रकाश के युग, अमेरिका में स्त्रियों के अधिकारों और गुलामों की मुक्ति हेतु लड़ाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ८ मार्च के दिन का महत्त्व, रूसी क्रांति और समाजवादी आंदोलन इत्यादि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के अंत भाग में स्त्रियों के अधिकारों हेतु संघर्ष का १८५७ से २००० तक का इतिहास संक्षेप में दिया गया है। चित्रों, कहानियों और कविताओं के साथ प्रस्तुति ने सम्पूर्ण पुस्तक को रसप्रद बना दिया है।

नारी आंदोलन का इतिहासः भाग-३ के रूप में प्रकाशित इस पुस्तक में भारत में १८५७ से लेकर अब तक हुए नारी आंदोलनों और सामाजिक सुधारों संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। १८५७ के विद्रोह में दलित और आदिवासी स्त्रियों की भूमिका कैसी रही, तथा सुधारकों, पुनरुत्थानवादियों तथा अंग्रेजों ने दलित तथा बहुजन समाज के प्रति तथा महिला समस्याओं के प्रति जो रूख अपनाया हैं - उसका ब्यौरा दिया गया है। शिक्षण तथा समानता हेतु चली लड़ाई का निरूपण इसमें भलीभांति किया गया है। विशेष रूप से नारी संस्थाओं की शुरूआत किस तरह हुई तथा आजादी के संग्राम में उनकी भूमिका कैसी रही और क्रांतिकारी स्त्रियों ने क्या भूमिका अदा की, उसकी आलेखन अत्यंत रोचक है। स्वतंत्र भारत के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका विषयक चर्चा दुर्गाबाई देशमुख, पुष्पाबेन मेहता, मणिबेन कारा, अनुसूया साराभाई, मृदुला साराभाई, कमलाबेन पटेल, हंसा मेहता, होमाई व्यारावाला आदि के संक्षिप्त जीवन चरित्रों द्वारा की गई है।

इसी भांति जन आंदोलनों में नक्सलवादी आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन, रेलवे मजदूरों की हड़ताल, चिपको आंदोलन, महंगाई प्रतिकार महिला आंदोलन इत्यादि की

भूमिका की भी इस पुस्तक में चर्चा की गई है। विशेष रूप से 'सेवा' द्वारा गरीब महिलाओं का मजदूर मंडल बना कर किस तरह महिलाओं के जीवन-निर्वाह की सुदढ करने का प्रयास किया गया तथा बैंक, सहकारी मंडली, स्वास्थ्य कार्यक्रम और बीमा योजना द्वारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा खड़ी करने में संस्था ने किस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी जानकारी भी यहां दी गई हैं।

यह पुस्तिका श्रेणी महिलाओं तथा विकास के प्रश्नों के लिए काम करने वाले बुनियादी कार्यकर्ताओं की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आधारभूत कार्यकर्ताओं के लिए नारी आंदोलन के संबंध में अपनी समझ विकसित करने के अतिरिक्त इस समझ को विशाल समुदाय तक ले जाने हेतु मददगार होने में ऐसे साहित्य की जरूरत पड़ती है। यह पुस्तिका उसकी आवश्यकता पूरी करती है।

इन पुस्तिकाओं का अध्ययन करने के बाद कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र के लोक समूहों में भी इस विषय की शुरूआत कर सकते हैं। पुस्तिका में प्रस्तुत उदाहरणों के उपरांत स्थानीय स्तर पर अधिक प्रचलित उदाहरणों व गीतों का भी समावेश किया जा सकता है। प्रत्येक पुस्तिका में स्त्री-पुरुष समानता, प्रभुता वाले वर्ग जाति और धर्म से ऊपर उठकर समस्त सीमांत-पहचान वाले समूहों के दृष्टिकोण और उनके अनुभवों के उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई हैं।

प्रत्येक मुद्दे में उससे संबंधित नारीवादी, समझ, उसके खिलाफ हुए विरोध के महत्त्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं तथा उनके बारे में विश्लेषण देने की कोशिश की गई हैं, ताकि पाठक अपने संगठन या कार्यक्षेत्र में घटित घटनाओं को इन मुद्दों के साथ जोड़कर कदम उठा सकें। प्राप्ति स्थानः 'उन्नति' और 'सहियर': जी-३, शिवांजलि फ्लैट्स, जाधव अमीश्रद्धा सोसाइटी के पास, नवजीवन, आजवा रोड़, वडोदरा-३९००१९, फोनः०२६५-२५१३४८२, ईमेल-sahiyar@gmail.com

कारीगरों के लिए मार्गदर्शिका

पश्चिमी राजस्थान अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है।

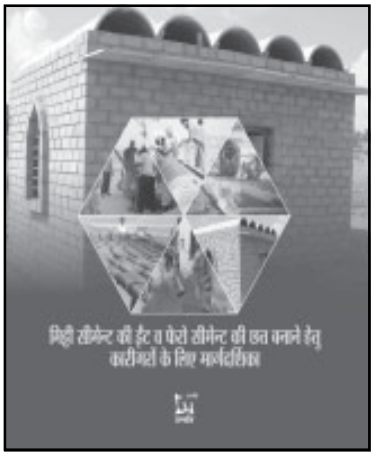

वहां के पर्यावरण के अनुसार स्थानीय सामग्री का उपयोग करके बनाई गई सेठों की हवेलियों और गरीबों के परंपरागत मकानों को वहां देखा जा सकता हैं। गरीब समुदाय अपना मकान परंपरागत रीति से माटी, लकड़ी और घास आदि से बनाता है। परंपरागत झोंपड़ा सुंदर, टिकाऊ और पर्यावरण को संतुलित रखने वाला होता है। पिछले कुछ अर्से से पारंपरिक निर्माण कार्य सामग्री के बजाय लोहे, एस्बेस्टस, सीमेन्ट तथा पत्थर का उपयोग बढ़ रहा है और वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ ऐसी सामग्री से बने मकान पश्चिमी राजस्थान के वातावरण के अनुकूल नहीं रहते।

सरकार की भिन्न-भिन्न आवास निर्माण योजनाओं में भी स्थानीय टैक्नोलोजी व सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया जिससे सीमेन्ट, कंक्रीट और अधिक ऊर्जा खर्च करने वाली सामग्री का उपयोग बढ़ता जा रहा है। समुदाय के पास आवास निर्माण की जो सामग्री व टैक्नोलोजी उपलब्ध है, उनके विकास हेतु कोई शोध कार्य नहीं किया गया। इस कारण पारंपरिक सामग्री व टेक्नोलोजी में जो खामियां हैं, वे दूर नहीं हो सकतीं। शोध के अभाव में पारंपरिक सामग्री के भाव भी अभी इतने अधिक हैं कि गरीब लोग भी उसे नहीं खरीदते। हालांकि आज भी गांव के कई लोग पारंपरिक चिनाई सामग्री और टैक्नोलोजी का उपयोग करके अपने मकान बनाते हैं।

ऐसे में शोध एवं अध्ययन करके स्थानीय समुदाय के समक्ष नयी वैकल्पिक टैक्नोलोजी तथा निर्माण सामग्री पेश करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माटी तथा सीमेन्ट की ईंट तथा फेरो सीमेन्ट की छत बनाने हेतु कारीगरों को मार्गदर्शन देने के लिए यह छोटी पुस्तिका हिंदी भाषा में तैयार की गई है। विकल्प के रूप में समुदाय के समक्ष कोई टैक्नोलोजी लाना ही इस

पुस्तिका का उद्देश्य है।

यह नयी टैक्नोलोजी स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। यह टेक्नोलोजी सुंदर, टिकाऊ तथा रोजगार बढ़ाने वाली है। इन नयी विधियों संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए ग्रामवासियों, पंचायत के प्रतिनिधियों और कारीगरों को ध्यान में रखकर यह पुस्तिका तैयार की गई है।

पुस्तिका में माटी तथा सीमेन्ट की ईंटे बनाने की प्रक्रिया दर्शाई गई है। इस पुस्तिका में दर्शाया गया है कि सही माटी कौनसी है और माटी व सीमेन्ट मिलाने की प्रक्रिया कौनसी है और ईंटें बनाने की विधि तथा मशीन की देखभाल किस तरह की जाए इत्यादि बातों में कैसी सावधानी रखी जाए। इस तरह की ईंटे बनाने में ९ प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जो सचित्र दर्शाई गई हैं।

इसी भांति फेरो सीमेंट की छत बनाने की प्रक्रिया में जो ९ प्रक्रिया शामिल हैं, उनकी सचित्र जानकारी भी सावधानी सहित दी गई है। गुजरात में कच्छ के भूकंप के समय २००१ में और राजस्थान में बाड़मेर जिले में बाढ़ के समय २००६ में इस प्रकार की सामग्री का उपयोग करके बड़े पैमाने पर पुनर्वास का कार्य किया गया था। कारीगर इस नयी टैक्नोलोजी को अपनाएं और स्वरोजगार के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार व पर्यावरण संतुलन को आगे बढ़ाना इस पुस्तक का प्रयोजन है। ऐसी टैक्नोलोजी को मुख्य धारा में लाने हेतु लोक जागृति तथा सरकारी मानकों में परिवर्तन जरूरी है।

प्राप्ति स्थानः 'उन्नति' ६५०, राधाकृष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के पास, चोपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-३४२००८, फोन-०२९१-३२०४६१८, ईमेल- unnati@datainfosys.net

सिविक एंगेजमेन्ट फोर अर्बन डेवलपमेन्ट

शहर याने भूगोल का विरोधाभास। एक तरफ सुनियोजित और सुनियमित शहर है और उनमें लोगों के पास सुरक्षित आमदनी है तथा वे उत्तम सेवाएं प्राप्त करते हैं। उनकी गणना होती है, सरकार उनको सेवाएं प्रदान करती है और उनके प्रति जिम्मेदारी भी होती है। दूसरी तरफ बिना आयोजन का अंधाधुंध विकसित शहर होता

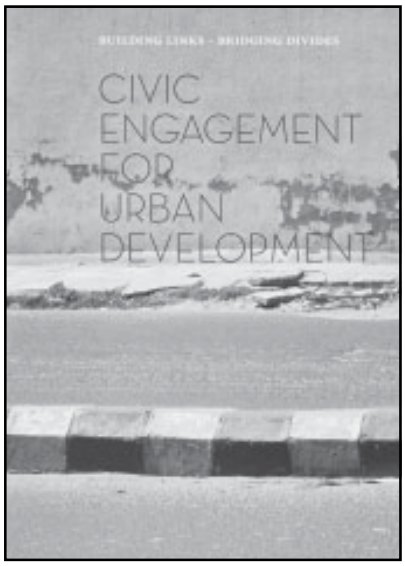

है। ऐसे शहर में लोगों के पास रहने लायक मकान नहीं, काम की सुरक्षा नहीं, सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त नहीं होते और यदि नियमों व मानकों का उल्लंघन हो जाए अथवा अधिकारों का पालन न हो तो उसका प्रतिकार करने की उनमें शक्ति भी नहीं। कई बार उनके सिर पर यह डर मंडराता रहता है कि उनको उखाड़ कर फैंक दिया जाएगा। उन्हें समझाया जाता है कि वे शहर पर बोझ हैं। इस दृष्टि के देखें तो शहरी गरीबों और शहरी अमीरों के बीच एक प्रकार की गहरी खाई बनती जाती है।

इस पुस्तक में शहरी गरीबों के बारे में और शहरी विकास में विद्यमान असमानता के खिलाफ संघर्ष को लेकर चर्चा की गई है। शहरों में किस तरह अनेक शहर बसते हैं और गरीबों को उसमें किस तरह अलग-अलग रखा जाता है, इस तथ्य को समझाते हुए 'गरीब कौन है' की व्याख्या की गई है।

शहरी गरीबी का चक्र, आमदनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरह बार-बार झुकता है, यह समझाया गया है। शहरी गरीबी के दृश्यमान कारण, नीति के साथ संबंधित कारण तथा गरीबी के अन्य पक्षों के प्रभाव पारस्परिक संबंधों के साथ समझाये गये हैं। यह दर्शाया गया है कि गरीबी और बेकारी तथा गरीबी और आवास के मध्य के संबंध तथा शासन की निष्फलता का अर्थ इस संबंध के संदर्भ में किस तरह होता है।

नागरिकों की सहभागिता और नागरिक संगठनों की सहभागिता से शहरों की समस्याएं किस तरह हल हो सकती हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं, इसे सोदाहरण समझाया गया है। नागरिकों की सहभागिता हेतु सूचना का आदान-प्रदान, क्षमता-निर्माण, देखरेख और सहभागी आयोजन तथा निर्णय प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण चरण हैं,

यह दर्शाते हुए नागरिकों की सहभागिता से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कितना स्थायी होता है, इसे समझा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों के दौरान 'उन्नति' द्वारा गुजरात तथा राजस्थान की नगर पालिकाओं में विशेष रूप से गरीबों हेतु नागरिक सुविधाएं सुधरें, इस नाते नागरिकों की सहभागिता खड़ी करने के प्रयास किये गए थे। उसमें एक महत्त्वपूर्ण पहलू सूचना के आदान-प्रदान का था। इसके लिए नागरिक सहयोग केन्द्र की स्थापना की गई। नागरिक सहयोग केन्द्र पालिका के अधिकारियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को तथा समुदाय को मदद देकर सहारा प्रदान करता है, यह तथ्य उदाहरण देते हुए समझाया गया है। नागरिकों के लिए शहर की सूचना की बुनियाद डाली गई और सार्वजनिक शिक्षण की व्यवस्था की गई। इसी भांति रिपोर्ट कार्ड तैयार करके नागरिक सुविधाओं पर ध्यान रखने का प्रयास किया गया। सूचना का विश्लेषण किया गया और पानी, गटर व्यवस्था, सड़कें इत्यादि बुनियादी सुविधाएं नगर पालिकाएं किस तरह पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह प्रदान कर सकती है, इसी बारे में नागरिकों और पालिका के अधिकारियों व चयनित प्रतिनिधियों के बीच संवाद आयोजित किया गया।

शहर के आयोजन में गरीबों का समावेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। आयोजन में विस्तारलक्ष्यी आयोजन, सामाजिक आयोजन और आर्थिक आयोजन का समावेश होना चाहिए। आयोजन के परंपरागत अभिगम में मात्र भौगोलिक आयोजन के पक्षों का समावेश होता है। अतः सभी हितेषियो के शामिल करके नीति का निर्धारण हो और सामाजिक न्याय के साथ नीतियों का क्रियान्वयन हो, ऐसा उद्देश्य आयोजन की प्रक्रिया में रखा गया था। विकास के आयोजन में गरीबों का समावेश करने के लिए हिमायत लक्षी मुद्दें भी हाथ में लिये गये थे। झोंपड़पट्टी इलाकों में ढांचागत विकास हो और गरीबों को आवास की भूमि पर अधिकार प्राप्त हो, यह भी इस समग्र प्रक्रिया का एक हिस्सा था। गरीबों की सहभागिता के साथ आयोजन करना अनिवार्य है और यह एक बड़ी चुनौती है, ऐसा कहा जा सकता है। शहरी आयोजन में और विकास में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता को दाखिल करने के ये प्रयास आधारभूत रूप से समावेशी हैं।

प्राप्ति स्थानः 'उन्नति'

पृष्ठ 24 का शेष

सेवाएं किस तरह चल रही हैं, इसकी जानकारी तहसील स्तर से विविध अधिकारियों से सम्पर्क करके प्राप्त की गई। प्रत्येक पंचायत के नागरिक नेता स्वयं ही इन योजनाओं के अमल के संदर्भ में अपनी भूमिका को समझें, इस हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इन नेताओं ने अन्न सुरक्षा से संबंधित ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ग्राम सभाओं में मुद्दे उठाये और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ सफलता प्राप्त हुई।

विशेष रूप से सस्ते अनाज की दुकानों में जो व्यापक अनियमितताएं विद्यमान थीं, उन पर लोगों का ध्यान गया। नागरिक नेताओं ने सस्ते अनाज की दुकानों से संबंधित व्यवस्थाओं की सूचना प्राप्त की और उनको समझने की कोशिश की। ये मुद्दे ग्राम सभाओं में उठाये गए, जिसका परिणाम यह आया कि दुकानें नियमित समय पर खुलने लगीं। दुकानें खुलने के दिन भी बढ़े। एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह आया कि जो राशनकार्ड पहले दुकानदारों के पास पड़े रहते थे, वे अब परिवारों के पास वापिस आ गये। विशेष रूप से नागरिक नेताओं ने पंचायतों को इस संबंध में कदम उठाने हेतु मजबूर किया, यह महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा। इसका कारण यह था कि ग्राम सभाओं में सस्ते अनाज की दुकानों के बारें में सवाल खड़े किये गए और उनके उत्तर पंचायतों के नेता देने की स्थिति में नहीं थे। इसके अतिरिक्त समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अधीन संचालित आंगनवाड़ियों और मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में भी इन नागिरक नेताओं ने सुधार करने के प्रयत्न किये। उसके परिणामस्वरूप इन दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले पंचायतों और ग्राम सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी बने।

सम्पर्क
(१) 'आनंदी', डी-१७३, शिव रविरत्न पार्क गली नं-३, सोमेश्वर महादेव के सामने, युनिवर्सिटी रोड, राजकोट-३६०००५ फोनः ०२८१-२५८६०९१ वेबसाइटः anandirajkot@dataone.in
(२) 'स्वाति', बी-२, सनशाइन एपार्टमेंट्स, एल.डी. इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, अहमदाबाद--१५ फोनः ०७९-२६३०१६१० वेबसाइटः www.swati.org.in

'उन्नति' मुख्य रूप से गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण, नागरिक नेतृत्व और शासन तथा विपत्ति की जोखिम घटाने के सामाजिक निर्धारक नामक तीन क्षेत्रों में काम करती है। इन मुद्दों के संबंध में सहभागिता उत्पन्न हो, इसके लिए ज्ञान के अर्जन, हिमायत और नागरिक समाज के संगठनों की क्षमता वृद्धि हेतु क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग किये जाते हैं। विगत चाह माह के दौरान इन क्षेत्रों में किये गए कार्य का विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

विवरण	मार्च २०१० तक
दलितों के विरुद्ध भेदभाव के मामलों का निवारण	३४३
दलितों के प्रति अत्याचार के मामले हाथ में लिये गए	४२२
महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले हाथ में लिये गए	१५५
दलितों की कब्जाई जमीन मुक्त कराई गई (बीघा)	११५४
जमीन मुक्त होने से लाभान्वित परिवार	७९
कानूनी प्रक्रिया के अधीन जमीन (बीघा)	७१४९
जमीन दाबने के मामले तले घिरे परिवार	२२१
सरकारी योजनाओं का सहारा पाने वाले परिवार	४५१९

सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

पश्चिमी राजस्थान के तीन जिलों में स्थानीय नागरिक समाज के संगठन खड़े किये गये हैं ताकि वे दलितों को संगठित करें और अत्याचारों व भेदभाव के खिलाफ आवाज उठायें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। ग्राम स्तर पर दलित महिलाओं और पुरुषों के समूहों द्वारा ये मुद्दे उठाये जाते हैं। तहसील स्तर पर उनके महामंडलों का गठन किया गया है। उन्हें सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करके सहायता दी जाती है। इस प्रयास को १० वर्ष पूरे हुए हैं। अक्टूबर २००९ में इस कार्यक्रम का बाह्य मूल्यांकन कया गया था। उसकी अनुशंसाओं के आधार पर यह प्रयास नये सिरे से किया जा रहा है। इस मूल्यांकन में बताया गया है कि लंबी अवधि तक अधिकार आधारित सहभागिता हेतु लोगों के संगठनों की ताकत और संस्थागत सहयोग की व्यवस्था जरूरी है। नये पुलिस कानून २००७ का प्रभावशाली क्रियान्वयन हो, इसके लिए कोमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव (सी.एच.आर.आई.) के सहयोग में जोधपुर में २७.०३.२०१० को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कानून में समुदाय की सहभागिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई। इस कार्यशाला में गैर-सरकारी संगठनों के २० प्रतिनिधियों, ५ वकीलों, ४ पत्रकारों और ३ कर्मशीलों ने भाग लिया था।

गुजरात में विकलांग व्यक्तियों हेतु अवसरों में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाता है। 'उन्नति' विकलांगता के मुद्दे को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए १९ विकासोन्मुखी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्तमान सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु मानसिक दृष्टि से विकलांग बालकों के साथ काम करने वाले ७ संगठनों से संपर्क किया गया। अंधजन मंडल के साथ सहयोग में बालकों की कार्यगत क्षमता बढ़ाने तथा पृथक शैक्षणिक योजना तैयार करने के लिए दो संगठनों को क्षमता-निर्माण हेतु सहयोग प्रदान किया जाए। इन केन्द्रों में बालकों को टैक्नीकल सेवाएं प्रदान करने हेतु सही संस्थाओं की जानकारी प्रदान की गई। स्थपतियों, इंजीनियरों, डिजाइनरों, गैर सरकारी संगठनों, पुनर्वास की संस्थाओं और विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए तीन दिनों का एक प्रशिक्षक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ताकि सार्वत्रिक डिजाइन व पहुंच के पहलुओं को अधिक उत्तम रीति से समझा जा सके। पहुंच के प्रश्न पर दिल्ली के एक गैर-सरकारी संगठन सामर्थ्यम् द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया था।

गुजरात सरकार के आदि जाति विकास विभाग के सहयोग से सेटकोम के मार्फत आदिवासी विद्यार्थियों को अंग्रेजी का गुणवत्तायुक्त शिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के नये स्वरूपों हेतु यह प्रयोग द्वार खोलेगा और उनकी पहुंच बढ़ेगी। इस कार्यक्रम में दूर शिक्षण के साथ संबंधित विविध प्रश्न हल करने के प्रयास किये गए हैं और उन पर निगरानी रखने हेतु एक तंत्र भी निर्मित हुआ है। १४ जिलों के ११० शिक्षकों को इस कार्यक्रम के अभिगम और उनकी भूमिका के विषय में जानकारी देने हेतु दो अभिमुखता शिविर आयोजित किये गए थे। कक्षा-४ के विद्यार्थियों के लिए २६ पीरियड का ब्रिज कोर्स चलाने संबंधी अभ्यासक्रम क्षेत्रीय वास्तविकताओं का सघन मूल्यांकन करने के पश्चात् तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ निर्मित किया गया है। एक घंटे के एक पीरियड में कहानियां,

गीत और स्वाध्याय है और उसके पूरक के रूप में चित्रात्मक पुस्तकें हैं, अब तक ऐसी दो स्वाध्याय पुस्तिकाओं की ९००० प्रतियां छपाई गई हैं और वितरित की गई हैं। कक्षाओं में जिन गीतों का उपयोगी किया जाता है उनकी सीडी शालाओं में वितरित कर दी गई है ताकि इस कार्यक्रम के पीरियड बाद विद्यार्थियों को मदद मिल सके। १४-२३ दिसंबर २००९ की समयावधि के दौरान यह कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर क्रियान्वयन किया गया है कि जिससे कार्यक्रम के साथ संबंधित प्रश्नों का मूल्यांकन किया जा सके। १८ जनवरी २०१० को इस कार्यक्रम की कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया। अभ्यासक्रम का नए तरीकों से विकास करने के लिए टुकड़ी के सदस्यों का सतत क्षमता-निर्माण किया जाता है। सेटकोम द्वारा शिक्षण के अनुभव को लेकर एक कार्यशाला 'शिक्षण हेतु आई सी टी का उपयोगः नयी पीढ़ी हेतु अवसरों का सृजन' विषय पर आयोजित की गई थी।

नागरिक नेतृत्व और शासन

पिछड़े लोगों की आवाज को मजबूत करने तथा शासन की संस्थाओं को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी रूप से काम करने में सक्षम बनाने हेतु नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने का प्रयास इस कार्यक्रम के अधीन किया जाता है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों व दलित प्रतिनिधियों तथा नेताओं की सहभागिता व नेतृत्व मजबूत बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। गत वर्ष से 'उन्नति' गुजरात सरकार के ग्राम विकास विभाग के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संबंधी सेल चलाने में सहयोग कर रही है। इसके परिणामस्वरूप समग्र राज्य में इस कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व स्थापित करने का अवसर उत्पन्न हो गया है। समग्र राज्य में २७.०१.२०१० से ०७.०२.२०१० के मध्य सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने हेतु अभियान चलाया गया। इस हेतु व्यूहरचना गढ़ने और कार्य सरल बनाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया। जिला स्तर के अधिकारियों को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। बाद में उन्होंने प्रत्येक तहसील में निवृत्त शिक्षकों, आचार्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बने तहसील संसाधन समूहों को अभिमुख किया। इन समूहों ने ग्राम स्तर की निगरानी और देखरेख समिति के सदस्यों को अभिमुख किया और उनकी पंचायतों में सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने के लिए उन्हें सहयोग प्रदान किया। यह व्यूहरचना धीमे-धीमे अच्छे परिणाम देगी और समुदाय अधिक सक्षम बनेगा। कारण यह कि किसी बाहर की संस्था द्वारा यह प्रक्रिया हाथ में नहीं ली जाती वरन् ग्राम स्तर की समिति द्वारा इसे हाथ में लिया जाता है। युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बाह्य निरीक्षकों के रूप में शामिल किया गया और उन्होंने ३४०९ ग्राम सभाओं में उपस्थिति दी। इस समग्र प्रक्रिया के बारे में एक दस्तावेजी वीडियो तैयार किया जा रहा है। नागरिकों के रिपोर्ट कार्ड का सामाजिक उत्तरदायित्व के एक साधन के नाते उपयोग करने मई २००९ के दौरान गुजरात में १० नगरों में तीन सेवाओं हेतु ६ गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग साधा गया। रिपोर्ट कार्ड के विषय में एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की गई है। गुजरात में सामाजिक उत्तरदायित्व के जिन अभिगमों का उपयोग किया जा रहा है। उन्हें समझने के लिए २० फरवरी और ४ मार्च २०१० को फोर्ड फाउन्डेशन की दो टुकड़ियों ने सम्पर्क स्थापित किया।

सूचना अधिकार के शिक्षकों के रूप में नागरिक नेता

क्षेत्रीय प्रयोग वाले इलाकों में से १४ नागरिक नेता सूचना अधिकार के शिक्षकों की भूमिका निभा सकें, इसके लिए जनवरी २००९ से उनकी क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। वे पहले से निर्धारित स्थानों में सूचना के अधिकार के बारे में शिविर आयोजित करके लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं और वे लोगों को सूचना प्राप्त करने की अर्जी देने में और अर्जी के बाद की कार्यवाही पर ध्यान रखने में मदद देते हैं।

विवरण	मार्च २०१० तक
जागरूकता शिविर	२८९
उपस्थित लोग	४६०५
अर्जियां	३००

गुजरात के ४० गांवों में २००३ से नागरिक मंडलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन गांवों में १२० नागरिक नेताओं को नियमित रूप से क्षमता-निर्माण का सहयोग प्रदान किया जा रहा है। नागरिक नेताओं ने भ्रष्टाचार मद्यपान जैसे सवालों में परिवर्तन में एजेंट के रूप में काम किया है और प्रयत्न किया है कि गुणवत्ता वाली आधारभूत सेवाएं प्राप्त हों। २९ नागरिक नेताओं की सफल कहानियों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया हैः 'नागरिक आगेवानः जे पीड़ पराई जाणे रे...' १२.१२.२००९ को नागरिक

नेताओं का सम्मान किया गया और इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नागरिक और शासन विषय के संबंध में नागरिक समाज के संगठनों हेतु प्रति वर्ष एक प्रशिक्षक आयोजित किया जाता है। भचाऊ में ४-६ मार्च २०१० के मध्य आयोजित एक के प्रशिक्षण में ८ संगठनों के कुल २७ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

राजस्थान में ७३वें संविधान संशोधन के उपरांत ग्राम पंचायतों का चौथा चुनाव आयोजित किया गया। 'उन्नति' द्वारा नियमित रूप से चुनावों के मध्य चुनाव पूर्व मतदाता जागृति अभियान चलाया जा रहा है। उसमें लोगों को मतदान का महत्त्व समझाया जाता है, मुक्त व न्यायपूर्ण चुनाव हेतु वातावरण उत्पन्न किया जाता है और महिलाओं व दलितों के उनके उम्मीदवारी पत्र भरवाये जाते हैं। इस बार राजस्थान के २१ संगठनों द्वारा द हंगर प्रोजेक्ट और 'प्रिया' के सहयोग से अभियान चलाया गया। उसमें महिलाओं और दलितों के नेतृत्व को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया और इस बात का ध्यान रखा गया कि मतदान करने और उम्मीदवार बनने के उनके अधिकार व्यवहार में उपयोग में आएं। जोधपुर जिले की लूणी तहसील में विकलांग व्यक्ति मतदान केन्द्र पर देखरेख रखें, ऐसा प्रयास किया गया। राजस्थान में समान अवसर और समान अधिकारों के विषय में महिलाओं का अधिवेशन बुलाया गया था। महिला नेताओं में एकता की भावना बनाने और समुदाय से स्तर पर न्याय दिलाने के लिए उनके द्वारा किये गए उदाहरणीय कार्य का सम्मान कराने के प्रयोजन से यह अधिवेशन बुलाया गया था। चार जिलों की ७ तहसीलों की २५० महिला नेताओं ने इसमें भाग लिया था और ३० महिला नेताओं का इसमें सम्मान किया गया था। गुजरात के ९ जिलों के २५ कार्यकर्ताओं, ७ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि तथा २० महिला सरपंचों ने ३.१२.२००९ को महिला स्वराज अभियान के सहयोग में आयोजितत राज्य स्तरीय विमर्श सभा में उपस्थिति दी थी। उसमें चयनित महिला प्रतिनिधियों की परिस्थिति को लेकर समझ निर्मित की गई तथा उन्हें उनके अनुभवों, चुनौतियों व सफलताओं के बारे में बातचीत करे के लिए मंच प्रदान किया गया।

विपत्ति में नुकसान कम करने के सामाजिक निर्धारक

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि विपत्ति में नुकसान कम करने के लिए कुछ सीखा जाए और काम हो तथा आपात दशा में प्रतिक्रिया प्रदान करने संबंधी क्षमता निर्मित हो। पश्चिमी राजस्थान में अकाल के संदर्भ में असहाय दलित परिवारों को पानी व घासचारे की मदद की गई है। ये परिवार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत प्राप्त नहीं कर सकते। २३ ग्रांवों के ७८ परिवारों को टांका निर्मित कराने हेतु सहयोग प्रदान किया गया। १५० परिवारों को टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध करवाया गया था। १०३८ बकरियां चराने वाले परिवारों को ९० दिनों तक प्रति बकरी २५० ग्राम घासचारा प्रदान किया गया था। जोधपुर और बाड़मेर में विपत्ति संबंधी नीति और जिले स्तरीय तंत्र तथा अकाल राहत संबंधी विविध सरकारी योजनाओं के बारे में एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। उनमें २९ गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था। राहत सेवाओं के वितरण में जिम्मेदारी आए और असहाय समूहों को ये सेवाएं प्राप्त कराने में उनको मदद देने के लिए समुदाय आधारित देखरेख व्यवस्था विकसित की गई। उसके परिणाम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिये जाते हैं। अकाल के अलावा लोग मलेरिया को भी बहुत बड़ा जोखिम मानते हैं। ढाणी में रहने वाले असहाय परिवारों को सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता। अहमदाबाद की 'सेवा' के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। फरवरी २०१० के दौरान २८ महिलाओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण। इस विषय पर आयोजित किया गया था। उनको इस तरह का प्रशिक्षण पांच बार दिया जाएगा। वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अभी मूल्यांकन व नक्शांकन कर रहे हैं। इसके अलावा वे मातृत्व, टीकाकरण और पोषक सेवाएं महिलाओं - बालकों की कितनी मात्रा में मिलें, इसका भी मूल्यांकन कर रहे हैं। उड़ीसा के एक्सआईएमबी सेंडरनेट के १२ व्यक्तियों ने २०-२४ मार्च २०१० के मध्य अकाल के नुकसान को कम करने के लिए पानी व घासचारे के सुरक्षातंत्र को समझने हेतु राजस्थान का दौरा किया था। बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, साधन, सामग्री का संचालन आवास के निर्माण कार्य संबंधी प्रशिक्षण में लगभग ९५ गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, पंचायत नेताओं, कारीगरों, कार्यदल के सदस्यों आदि

ने उपस्थिति दी थी। इस प्रशिक्षण को रेडक्रोस, गुजरात और रेड-आर इंडिया द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। लोकभारती- सणोसरा और मोतीभाई चौधरी महेसाणा के सहयोग से २३.०१.१० से २०.०२.१० के मध्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उसके निवारण के उपाय विषय पर प्रादेशिक कार्यशालाओं के आयोजन किये गए, जिनमें गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व किसानों सहित तीन सौ लोगों ने भाग लिया था।

पृष्ठ 1 का शेष

अन्न सुरक्षा सिर्फ उत्पादन और टैक्नोलोजी अथवा उत्पादन के साधनों से संबंधित सवाल नहीं है, वरन् यह अन्न के उचित एवं समतापूर्ण वितरण का प्रश्न भी है। जिस प्रकार रोजगार की गारंटी सामाजिक अनिवार्यता है, उसी प्रकार अन्न की गारंटी भी सामाजिक अनिवार्यता है तथा आर्थिक अनिवार्यता है। इसी संदर्भ में भारत में अन्न अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन होना चाहिए। मानवीय एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था का यह प्रमाण बनेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और सूचना अधिकार अधिनियम के कुछ हद तक सफल क्रियान्वयन ने अन्न अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अनुकूल राजीनीतिक वातावरण निर्मित किया है। संतुलित आहार के लिए जरूरी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय वातावरण निर्मित होगा तभी अन्न सुरक्षा निर्मित हो सकेगी। अतः अन्न की प्राप्यता और पहुंच पर जितना ध्यान देना जरूरी है, उतना ही अन्न की सर्वग्राही व्याख्या करके उसका नीतिगत समावेश भी जरूरी है। शासन में भागीदारी की सफलता तभी मिलती है कि जन लोग अपनी पसंदगियों को लेकर आवाज उठायें। अन्न का अधिकार ऐसी संभावनाओं को उजागर कर देता है। इस प्रकार मानव विकास में अन्न अधिकार अधिनियम की सकारात्मक भूमिका निर्मित हो, ऐसी वाजिब अपेक्षा रखना गलत नहीं।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाईटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-३४२००८, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद.

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।